

मुकदमों का विवरण

पेसला नुकाराजू

वी.

आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2304)

16 अगस्त, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जिला कलेक्टर द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी बंदी के खिलाफ पारित निवारक निरोध के आदेश में हस्तक्षेप करने से सही ढंग से इनकार कर दिया। 3(2) आंध्र प्रदेश बूट-लेगर्स, डकैतों, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडों, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स और लैंड ग्रैबर्स अधिनियम, 1986 की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम।

आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडों, अनैतिक तस्करी ऑफ एंडर्स और लैंड ग्रैबर्स की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 - धारा 3 (2) - निवारक निरोध - अपीलकर्ता पहचान पत्र शराब के वितरण, भंडारण, परिवहन और बिक्री में लिप्त है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ सार्वजनिक शांति और शांति को भारी नुकसान पहुंचाता है - निवारक निरोध का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया। 3(2) - उच्च न्यायालय ने निरोध आदेश को बरकरार रखा - सच्चाई:

आयोजित किया गया: यह नहीं कहा जा सकता है कि लगातार 12 महीनों के लिए पारित निरोध आदेश को अधिकारिता के बिना और धाराओं की उप-धारा (2) के अधिदेश के विपरीत कहा जा सकता है। 3 - एस में उल्लिखित अवधि। 3(2) शक्तियों के प्रत्यर्पण की अवधि को संदर्भित करता है और इसकी उस अवधि के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है - अनुच्छेद 22 (4) (ए) में निर्धारित तीन महीने की अवधि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने के चरण तक हिरासत की प्रारंभिक अवधि से संबंधित है और इसका निरोध की अवधि पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो कारावास के आदेश के बाद भी जारी है।

520 521

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया - इसके अलावा, हिरासत में लिए गए प्राधिकारी ने हिरासत के आधार पर निर्दिष्ट रूप से कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा शराब बेचना और उस इलाके के लोगों द्वारा सेवन करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था - ऐसा बयान उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की अभिव्यक्ति है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं - इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कानून की कोई त्रुटि नहीं है। [पारस 23, 38, 71 और 72]

आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडों, अनैतिक तस्करी ऑफ एंडर्स और लैंड ग्रैबर्स की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 - धारा 3 (2) - व्याख्या:

आयोजित किया गया: धारा 3 (2) का निरोध की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है - धारा 3 (2) राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को, यथास्थिति, शक्तियों के प्रयोग के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में है। 3(2) - एस में उल्लिखित अवधि। 3(2) राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यर्पण की अवधि को संदर्भित करता है और इसकी उस अवधि के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है - इस प्रकार, धारा 3 (2) में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट होती है, तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश देने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है, जैसा कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदान किया गया है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसी अवधि के दौरान

जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि संतुष्ट हो जाता है जैसा कि उप-धारा (1) में प्रदान किया गया है, तो राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।¹³ जो यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति को अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है।¹². [पैरास 23,26 और 39]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 22 (4) (ए)-अनुच्छेद 22 (4) (ए) की प्रासंगिकता:

आयोजित किया गया:अनुच्छेद 22 (4) (ए) के पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलेगा कि निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा-इस प्रकार, हिरासत का आदेश तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकता है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट नहीं दी हो।

522

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

नजरबंदी के लिए ऐसी राय पर्याप्त कारण-यदि सलाहकार बोर्ड नजरबंदी की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी राय नहीं देता है, तो ऐसे मामले में तीन महीने की अवधि से आगे हिरासत का आदेश अवैध हो जाएगा और अन्यथा नहीं-यदि सलाहकार बोर्ड का मानना है कि तीन महीने की अवधि के भीतर इस तरह की नजरबंदी का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो राज्य सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा-इस प्रकार, अनुच्छेद 22 (4) (ए) सार में नजरबंदी के आदेश से संबंधित है और इसका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यू/एस के अनुसार हिरासत की शक्ति के प्रत्यायोजन से कोई लेना-देना नहीं है।³⁽²⁾ - अनुच्छेद 22 (4) (क) में निर्धारित तीन महीने की अवधि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति के चरण तक निरोध की प्रारंभिक अवधि से संबंधित है और इसका निरोध की अवधि पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार द्वारा पारित किए जा रहे प्रत्यर्पण आदेश के बाद भी जारी रहता है-राज्य सरकार द्वारा पारित प्रत्यर्पण आदेश के अनुसार निरोध को जारी रखने के लिए भी निरोध की अवधि निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। न ही यह केवल तीन महीने की अवधि तक ही सीमित है-यदि कारावास आदेश में कोई अवधि निर्दिष्ट की गई है, तो निरोध की अवधि ऐसी अवधि तक होगी, यदि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो यह निरोध की तारीख से अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए होगी-राज्य सरकार को कारावास आदेश पारित करने के बाद हर तीन महीने में निरोध के आदेशों की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।[पारस 41-44]

आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स, डकैत, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडा, अनैतिक तस्करी की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम और भूमि हड़पने वाले अधिनियम, 1986-निवारक निरोध-अपीलकर्ता पहचान पत्र शराब के वितरण, भंडारण, परिवहन और बिक्री में लिप्त-बंदी के खिलाफ चार प्राथमिकियाँ, यदि इस व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि बूटलेगर के रूप में बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं:

आयोजित किया गया:सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ निरोध के आधार के संबंध को निर्धारित करने के लिए, निरोध का उद्देश्य, अधिनियम की एक आंतरिक गुणवत्ता नहीं है, बल्कि इसकी अव्यक्त क्षमता है-इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कि निरोध का आधार सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है या नहीं, केवल एक अधिनियम की आंतरिक गुणवत्ता के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं होगा-निषेध अधिनियम के तहत आसपास की परिस्थितियों के आलोक में अधिनियम की क्षमता की जांच की जानी चाहिए-सिर्फ इसलिए कि 523 के खिलाफ चार मामले दर्ज किए गए हैं।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार।

निषेध अधिनियम के तहत बंदी का अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है-यदि बंदी द्वारा बेची गई शराब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो अधिनियम 1986 के तहत, यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधि बन जाती है, इस प्रकार, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए उपलब्ध सामग्री पर संतुष्ट होना आवश्यक हो जाता है-हिरासत प्राधिकरण ने हिरासत के आधार पर निर्दिष्ट रूप से कहा कि बंदी द्वारा शराब बेचना और उस इलाके के लोगों द्वारा सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था-ऐसा बयान उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की अभिव्यक्ति है

कि बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं-इतना ही नहीं, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने अपना संतोष भी दर्ज किया कि यह है[पारस 64,65 और 71]

निवारक निरोध-आवश्यक अवधारणा-पर चर्चा की गई।[पारस 16

और 17]

निवारक निरोध-'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' की अवधारणा-के बीच अंतर।[पैरा 64]

हेबियस कॉर्पस का लेखन-उद्देश्य-चर्चा।[अनुच्छेद 21 और 22] शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,

(2015) 13 एससीसी 722:[2014] 6 एस. सी. आर. 750-कानून को सही नहीं माना गया।

हरधन साहा बनाम द स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. और अन्य 1974 Cri.L.J.1479; टी.

देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार (1990) 2 एस. सी. सी. 456:[1990] 1 एससीआर 836;

तमिलनाडु सरकार के सचिव सार्वजनिक (कानून और व्यवस्था) राजस्व विभाग और एक अन्य बनाम कमला और एक अन्य (2018) 5 एस. सी. सी. 322:[2018] 3 एस. सी. आर. 854; पुलिस आयुक्त और एक अन्य बनाम गुरबक्स आनंदराम बिरयानी (1988) पूरक एस. सी. सी. 568; माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 27:[1952] एस. सी. आर. 368; गुरप्रीत कौर परविंदर सिंह बेदी बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1992) 2 एस. सी. सी. 177:[1992] 1 एस. सी. आर. 234; अभय श्रीधर

अम्बुलकर बनाम एस. वी. भावे, पुलिस आयुक्त ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 397:[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 552; नवलशंकर ईश्वरलाल दवे बनाम गुजरात राज्य

AIR 1994 SC 1496:[1993] 3 एस. सी. आर. 676; अब्दुल रजाक बनाम कर्नाटक राज्य,

आई. एल. आर. 2017 कर 4608 (एफ. बी.); बृज भूषण और अन्य बनाम दिल्ली राज्य, (1950) एस. सी. आर. 605; रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, (1950) एस. सी. आर. 594;

524 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1966) 1 एससीआर 709;

अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1970) 1 एससीसी 98:[1970] 3 एससीआर 288;

पुष्कर मुखर्जी और अन्य पश्चिम बंगाल राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 852:[1969] 2 एस. सी. आर. 635; बाबुल मित्रा उर्फ अनिल मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (1973) 1 एस. सी. सी. 393; दीपक बोस उर्फ नरीपाड़ा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 43; कुसो साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1974) 1 एस. सी. सी. 185:[1974] 2 एस. सी. आर. 195; अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और

अन्य, (1982) 2 एससीसी 403:[1982] 3 एससीआर 707; पुलिस आयुक्त और अन्य, बनाम सी. अनीता (श्रीमती), (2004) 7 एससीसी 467:[2004] 3 पूरक।एससीआर 701;

राशिदमिया @छावा अहमदिया शेख बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद

& अत्र., (1989) 3 एस. सी. सी. 321:[1989] 3 एस. सी. आर. 182; पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम

पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद शहर और अत्र। (1989) पूरक (1) एस. सी. सी. 322

:[1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 1081-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2304।

2022 के डब्ल्यू. पी. संख्या 33638 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 07.03.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सुश्री भावना दास, कृष्ण देव जगरलामुदी, आदित्य मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

महफूज अहसान नाजकी, पोलंकी गौतम, सुश्री नीति रिचरिया, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, मीरान मकबूल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. बी. पारदीवाला, जे.:

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील आंध्र प्रदेश खतरनाक 525 की रोकथाम की धारा 3 (2) के तहत निवारक रूप से हिरासत में लिए गए एक बंदी के कहने पर की गई है।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 526 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

बूट-लेगर्स, डकैत, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडा, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स एंड लैंड ग्रेबर्स एक्ट, 1986 (1986 का 1) (संक्षेप में, 'अधिनियम 1986') की गतिविधियाँ और अपीलार्थी के नेतृत्व में 2022 की रिट याचिका संख्या 33638 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 07.03.2023 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह जिला कलेक्टर, काकीनाडा जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा अधिनियम 1986 की धारा 3 (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित निवारक निरोध के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांकित 25.08.2022 निरोध का आदेश इस प्रकार है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“विवरण का आदेश

(एन. डी. ई. आर. एस. अधिनियम संख्या 3 (2) "एन. डी. ई. आंध्र प्रदेश ने बूटलेगर्स, डाकोइट्स, ड्रग ऑफेंडर्स, गुन्डा, तत्काल यातायात ऑफेंडर्स और लैंड ग्रेबर्स एक्ट, 1986" की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम की है।

पढ़िए:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1) आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स, डकैतों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों, गुंडों, अनैतिक तस्करी और भूमि हड़पने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986।

2) जी. ओ. आर. टी. सं. 1089, सामान्य प्रशासन (एससी-1) विभाग।, तिथि 09.06.2022

3) पुलिस अधीक्षक, काकीनाडा जिला C.No.78/DSE0/SEB 2022, दिनांक 05.08.2022।

जबकि जानकारी मेरे सामने रखी गई है कि श्री पेसाला नूकराजू, एस/ओ।बुल्लिया, आयु:46 साल, जाति:एससी (माला), आर/ओ एन. एस. वेंकटपुरम, तुनी मंडल, काकीनाडा जिला एक आदतन अपराधी है और आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2020 के खिलाफ अपराध करता है और जनवरी, 2021 से मार्च, 2022 तक 4 मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

ये अधिनियम ए. पी. निषेध (संशोधित) अधिनियम, 2020 की धारा 7 (बी) के साथ पठित धारा 8 (बी) का उल्लंघन करते हैं, जो "बूटलेगर" की श्रेणी के तहत आता है, जो "द आंध्र प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, डकैत, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडा, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स एंड लैंड ग्रेबर्स एक्ट, 1986" की धारा 2 (बी) के तहत आता है।

मामलों का विवरण इस प्रकार है:

1)	एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी क्र. नं. 13/2021, तारीख: 06.01.2021, यू/सेक। 7 (बी) आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2020 का आर/डब्ल्यू 8 (बी)।
2)	एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी क्र. नं. 376/2021, तारीख: 13.08.2021, यू/सेक। 7 (बी) आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2020 का आर/डब्ल्यू 8 (बी)।
3)	एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी क्र. नं. 532/2021, तारीख: 30.09.2021, यू/सेक। 7 (बी) आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2020 का आर/डब्ल्यू 8 (बी)।
4)	एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी क्र. नं. 213/2022, तारीख: 09.03.2022,

यू/सेक। 7 (बी)
आंध्र प्रदेश निषेध
(संशोधन)
अधिनियम, 2020
का आर/डब्ल्यू 8
(बी)।

इसलिए, धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों को लागू करने का आदेश देना आवश्यक है। अधिनियम (1986 का अधिनियम संख्या 1) के 3 (2) में निर्देश दिया गया है कि श्री पेसाला नुकाराजू, एस/ओ।बुलिया, आयु:46 साल, जाति:एससी (माला), आर/ओ एन. एस. वेंकटपुरम गाँव, तुनी मंडल, काकीनाडा जिले को केंद्रीय जेल, राजमहेन्द्रवरम, पूर्वी गोदावरी जिले में तत्काल प्रभाव से हिरासत में लिया जाएगा, ताकि उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शांति और शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोका जा सके।

जबकि, मैं उपरोक्त सामग्री और जानकारी से संतुष्ट हूँ कि श्री पेसाला नुकाराजू, पुत्र बुलिया, आयु नामक व्यक्ति:46 साल, जाति:एससी (माला), आर/ओ एन. एस. वेंकटपुरम, तुनी मंडल, काकीनाडा जिला कार्य कर रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने के लिए भी सोचा गया है और उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश देकर उसे आगे कार्य करने से रोकना आवश्यक है। इसलिए, मैं, डॉ. कृतिका शुक्ला, आई. ए. एस., कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, काकीनाडा जिला, ए. पी. की धारा 3 की उप धारा 2 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडों, अनैतिक तस्करी और लैंड ग्रेबर्स अधिनियम, 1986 527 की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 528 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

जी. ओ. आर. टी. सं. 1089 सामान्य प्रशासन (एस. सी.-I) विभाग के साथ पढ़ें। दिनांकित 09.06.2022 एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत निर्देश दें कि श्री पेसाला नुकाराजू, पुत्र बुलिया, आयु:46 साल, जाति:एससी (माला), आर/ओ एन. एस. वेंकटपुरम गाँव, तुनी मंडल, काकीनाडा जिले को सरकार से अगले आदेश प्राप्त होने तक केंद्रीय जेल, राजमहेन्द्रवरम, पूर्वी गोदावरी जिले में रखा जाएगा।"

4. ऊपर निर्दिष्ट निरोध के आदेश के साथ इसमें अपीलार्थी को दिए गए दिनांक 25.08.2022 के निरोध के आधार इस प्रकार हैं:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"जबकि मेरे सामने रखी गई जानकारी से पता चलता है कि आप श्री पेसाला नुकाराजू, पुत्र बुलिया, आयु:46 साल, जाति:एससी (माला), आर/ओ एन. एस. वेंकटपुरम, तुनी मंडल, काकीनाडा जिला एक आदतन अपराधी है और ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2020 के खिलाफ बार-बार अपराध कर रहा है, हालांकि आपके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। यह स्पष्ट है कि आपको जनवरी, 2021 से मार्च, 2022 तक चार मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आप एन. एस. वेंकटपुरम गाँव और तुनी मंडल के आसपास के स्थानों में आई. डी. शराब का वितरण, भंडारण, परिवहन और बिक्री कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ सार्वजनिक शांति और शांति को भी भारी नुकसान होता है।

नजरबंदी के लिए निम्नलिखित आधार हैं:

ग्राउंड नं. 1 (क्र. एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी, काकीनाडा जिले के ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम-2020 की यू/एस 7 (बी) आर/डब्ल्यू 8 (बी) की संख्या <आई. डी. 2, दिनांक <आई. डी. 1।

06.01.2021 को, लगभग 06.00 ए. एम. पर, जबकि उप निरीक्षक, विशेष प्रवर्तन ब्यूरो, तुनी कर्मचारियों के साथ प्रोह का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। & तुनी मंडल के एन. एस. वेंकटपुरम गाँव में एकसाइज ऑफ एनसेस और एस. सी. पेटा की अंबेडकर प्रतिमा के पास दाहिने हाथ में एक अभ्रक हैंड बैग के साथ एक व्यक्ति मिला। पुलिस दल को देखकर उसने अभ्रक का थैला छोड़ दिया जो उसके हाथ में था और भागने की कोशिश की। एस. आई. एस. ई. बी. ने सिपाही की मदद से उस व्यक्ति को रोक दिया और प्रवर्तन उप-निरीक्षक ने एक सिपाही को मध्यस्थों को सुरक्षित करने के लिए भेजा लेकिन वह वापस आ गया और सूचित किया कि कोई भी मध्यस्थ के रूप में खड़े होने के लिए आगे नहीं आया है। फिर उपनिरीक्षक एस. ई. बी.

थैला खोला और पाया कि एक पॉलीथीन कवर में 5 लीटर आई. डी. शराब है। जब आरोपी से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने स्वेच्छा से खुलासा किया कि उसका नाम पेसाला नुकाराजू पुत्र बुलिया, आयु: है। 45 साल, जाति: एस. सी. (माला) निवासी एन. एस. वेंकटपुरम गाँव, तुनी मंडल ने उन्हें समझाया कि ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत आई. डी. शराब का रखना, परिवहन, बिक्री एक अपराध है और आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आई. डी. अरैक को जब्त कर लिया। फिर रासायनिक जांच के उद्देश्य से जब्त आईडी अरैक से एक अलग बोतल में नमूने के रूप में 300 मिली आई. डी. शराब निकाली गई और नमूने की बोतल और अभ्रक बैग को शेष आईडी शराब के साथ सील कर दिया और एस. आई. एस. ई. बी. और कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पर्ची चिपकाई गई और प्रवर्तन उप निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई विशेष रिपोर्ट के आवरण के तहत जब्त आई. डी. शराब।

नमूना विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक, काकीनाडा को भेजा गया था और उसी का विश्लेषण किया गया था और रासायनिक परीक्षक ने कहा कि "यह अवैध रूप से आसुत शराब है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की। क्र. सं. में सी. ई. सं. 366/2021। सं. 5890 दिनांकित 04.03.2021।

ग्राउंड नं. 2 (क्र. एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी, काकीनाडा जिले के ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम-2020 की यू/एस 7 (बी) आर/डब्ल्यू 8 (बी) की संख्या <आई. डी. 2, दिनांक <आई. डी. 1।

13.08.2021 को, लगभग 09.30 ए. एम. पर, जबकि उप निरीक्षक, विशेष प्रवर्तन ब्यूरो, तुनी कर्मचारियों के साथ प्रोह का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। & तुनी मंडल के एन. एस. वेंकटपुरम गाँव में आबकारी विभाग ने एस. सी. पेटा की अंबेडकर प्रतिमा के पास एक व्यक्ति को अपने दाहिने कंधे पर एक बोरे के साथ खड़ा पाया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने अपने हाथ में गन्नी बैग छोड़ दिया और भागने की कोशिश की। एस. आई. एस. ई. बी. ने सिपाही की मदद से उस व्यक्ति को रोक दिया और प्रवर्तन उप-निरीक्षक ने एक सिपाही को मध्यस्थों को सुरक्षित करने के लिए भेजा लेकिन वह वापस आ गया और सूचित किया कि कोई भी मध्यस्थ के रूप में खड़े होने के लिए आगे नहीं आया है। फिर सब इंस्पेक्टर एस. ई. बी. ने थैला खोला और तीन पॉलीथीन कवर पाए जिनमें से प्रत्येक में 10 लीटर कुल 30 लीटर आई. डी. शराब थी। जब अभियुक्त से 529 के बारे में पूछताछ की गई

पेसाला नूकाराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 530 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अपनी पहचान के विवरण में, उन्होंने स्वेच्छा से खुलासा किया कि उनका नाम पेसाला नुकाराजू पुत्र बुलिया है, आयु: 45 इयर्स कास्ट: एस. सी. (माला), आर/ओ. एन. एस. वेंकटपुरम गाँव, तुनी मंडल ने उन्हें समझाया कि ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम 2020 के तहत आई. डी. शराब का कब्जा, परिवहन, बिक्री एक अपराध है और आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आई. डी. अरैक को जब्त कर लिया। फिर रासायनिक जांच के उद्देश्य से जब्त अरैक से नमूने के रूप में 300 मिली आई. डी. शराब को एक अलग बोतल में निकाला गया और नमूना बोतल और अभ्रक के थैले को शेष आई. डी. शराब के साथ सील कर दिया गया और एस. आई. एस. ई. बी. और कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पर्ची चिपकाई गई और प्रवर्तन उप-निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई विशेष रिपोर्ट के आवरण के तहत आई. डी. शराब जब्त की गई।

नमूना विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक, काकीनाडा को भेजा गया था और उसी का विश्लेषण किया गया था और रासायनिक परीक्षक ने कहा कि "यह अवैध रूप से आसुत शराब है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और क्र. सं. में सी. ई. सं. 2381/2021 के माध्यम से एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की। सं. 41632 दिनांकित 10.11.2021।

ग्राउंड नं. 3 (क्र. एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी, काकीनाडा जिले के ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम-2020 की यू/एस 7 (बी) आर/डब्ल्यू 8 (बी) का दिनांक 532/2021:

30.09.2021 को, लगभग 08.05 शाम को, जबकि विशेष प्रवर्तन ब्यूरो, एस. एच. ओ., तुनी तकनीकी शाखा के उप-निरीक्षक और कर्मचारियों के साथ प्रोह का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। & तुनी मंडल के एससी पेटा एन. एस. वेंकटपुरम गाँव की अंबेडकर प्रतिमा के पास आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति को दाहिने हाथ में एक अभ्रक का थैला लेकर चलते

हुए पाया, पुलिस दल को देखकर उसने अभ्रक का थैला छोड़ दिया जो उसके हाथ में था और भागने की कोशिश की। एस. आई. एस. ई. बी. ने सिपाही की मदद से उस व्यक्ति को रोक दिया और प्रवर्तन उप निरीक्षक ने एक सिपाही को मध्यस्थों को सुरक्षित करने के लिए भेजा, लेकिन वह वापस आ गया और सूचित किया कि कोई भी मध्यस्थ के रूप में खड़े होने के लिए आगे नहीं आया है। फिर सब इंस्पेक्टर एस. ई. बी. ने थैला खोला और एक पॉलिथीन कवर पाया जिसमें 10 लीटर आई. डी. शराब थी। जब आरोपी से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने स्वेच्छा से खुलासा किया कि उसका नाम पेसाला नुकाराजू पुत्र बुलिया, आयु: है। 45 साल, जाति: एससी (माला) आर/ओ एन।

एस. वेंकटपुरम गाँव, तुनी मंडल ने उन्हें समझाया कि ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम 2020 के तहत आई. डी. शराब का कब्जा, परिवहन, बिक्री एक अपराध है और आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आई. डी. अरैक को जब्त कर लिया। फिर रासायनिक जांच के उद्देश्य से जब्त आईडी अरैक से एक अलग बोतल में नमूना के रूप में 300 मिली आई. डी. शराब निकाली और नमूना बोतल और अभ्रक बैग को शेष आईडी शराब के साथ सील कर दिया और एस. आई. एस. ई. बी. और कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पर्ची चिपकाई और प्रवर्तन उप-निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई विशेष रिपोर्ट के आवरण के तहत आई. डी. शराब जब्त की गई।

नमूना विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक, काकीनाडा को भेजा गया था और उसी का विश्लेषण किया गया था और रासायनिक परीक्षक ने कहा कि "यह अवैध रूप से आसुत शराब है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और क्र. सं. में सी. ई. सं. 2796/2021 के माध्यम से एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की। सं. 45126 दिनांकित 27.11.2021।

ग्राउंड नं. 4 (क्र. एस. ई. बी. स्टेशन, तुनी, काकीनाडा जिले के ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम-2020 की यू/एस 7 (बी) आर/डब्ल्यू 8 (बी) का दिनांक <आई. डी. 1):

09.03.2022 को, लगभग 10.00 ए. एम. पर, जबकि विशेष प्रवर्तन ब्यूरो, एस. एच. ओ. तुनी कर्मचारियों के साथ प्रोह का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। & तुनी मंडल के एससी पेटा एन. एस. वेंकटपुरम गांव की अंबेडकर प्रतिमा के पास आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति को दाहिने हाथ में एक अभ्रक का थैला लेकर चलते हुए पाया, पुलिस दल को देखकर उसने अभ्रक का थैला छोड़ दिया जो उसके हाथ में था और भागने की कोशिश की। एस. आई. एस. ई. बी. ने सिपाही की मदद से उस व्यक्ति को रोक दिया और प्रवर्तन उप निरीक्षक ने एक सिपाही को मध्यस्थों को सुरक्षित करने के लिए भेजा, लेकिन वह वापस आ गया और सूचित किया कि कोई भी मध्यस्थ के रूप में खड़े होने के लिए आगे नहीं आया है। फिर सब इंस्पेक्टर एस. ई. बी. ने थैला खोला और एक पॉलिथीन कवर पाया जिसमें 10 लीटर आई. डी. शराब थी। जब आरोपी से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की गई तो उसने स्वेच्छा से खुलासा किया कि उसका नाम पेसाला नुकाराजू पुत्र बुलिया, आयु: है। 46 इयर्स कास्ट: एस. सी. (माला) निवासी एन. एस. वेंकटपुरम गाँव, तुनी मंडल ने उन्हें समझाया कि ए. पी. निषेध (संशोधन) अधिनियम 2020 के तहत आई. डी. शराब रखना, परिवहन करना, बेचना एक अपराध है और आरोपी 531 को गिरफ्तार किया।

पेसाला नुकाराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 532

और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आईडी अरैक को जब्त कर लिया। फिर जब्त आई. डी. अरैक से रासायनिक जांच के उद्देश्य से नमूने के रूप में 300 मिली. आई. डी. शराब को एक अलग बोतल में निकाला गया और नमूना बोतल और अभ्रक बैग को शेष आई. डी. शराब के साथ सील कर दिया गया और एस. आई. एस. ई. बी. और कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पर्ची चिपकाई गई और प्रवर्तन उप-निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई विशेष रिपोर्ट के आवरण के तहत आई. डी. शराब जब्त की गई।

नमूना विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक, काकीनाडा को भेजा गया था और उसी का विश्लेषण किया गया था और रासायनिक परीक्षक ने कहा कि "यह अवैध रूप से आसुत शराब है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और क्र. सं. में सी. ई. सं. 851/2022 के माध्यम से एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की। सं. 13027 दिनांकित 04.04.2022।

इस प्रकार मैं अपने सामने रखी गई सामग्री से संतुष्ट हूँ कि आप "BOOTLEGER" की श्रेणी में आते हैं जैसा कि सेक में कहा गया है। 2 (बी) "द आंध्र प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, डकैत, ड्रग ऑफ एंडर्स, गुंडा, अनैतिक तस्करी सी ऑफ एंडर्स एंड लैंड ग्रेबर्स एक्ट, 1986" और आप उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत हिरासत में लिए

जाने वाले एक निश्चित व्यक्ति हैं और तदनुसार मैं आपको सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए आदेश जारी करूंगा।"

5. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि काकीनाडा जिले के जिला कलेक्टर को अभिलेख पर सामग्री के आधार पर व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट किया गया था कि अपीलार्थी बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थीं। निरोध प्राधिकारी अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 के अनुसार, अपीलकर्ता अधिनियम 1986 की धारा 2 (बी) के तहत एक "अवैध शराब तस्कर" है और उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से, यह आवश्यक महसूस किया गया कि अपीलार्थी को निवारक रूप से हिरासत में लिया जाए।

6. निवारक निरोध के आदेश से व्यथित अपीलार्थी बंदी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 2022 की रिट याचिका संख्या 33638 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और तदनुसार रिट याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

7. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

एप्पेलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी बंदी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री भावना दास ने अपनी लिखित दलीलों में इस प्रकार कहा है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" 1. एक निवारक निरोध आदेश एक बार में केवल 3 महीने के लिए जारी किया जा सकता है।

1.1 याचिकाकर्ता को अवैध शराबियों, डकैतों, नशीली दवाओं के तस्करों, गुंडों, अनैतिक तस्करी और भूमि हड़पने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 ("एपी अधिनियम") की धारा 3 (2) के तहत काकीनाडा के जिला कलेक्टर द्वारा जारी एक आदेश के संदर्भ में निवारक रूप से हिरासत में लिया गया है। जबकि 25.08.2022 दिनांकित आदेश में निरोध की किसी भी अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था, राज्य सरकार ने जीओ दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को लगातार 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाएगा। 1.2 उपरोक्त आदेश आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 3 (2) के परंतुक के विपरीत हैं, जिसमें कहा गया है कि "इस उप-धारा के तहत सरकार द्वारा दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अवधि पहली बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन सरकार, यदि उपरोक्त रूप से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो समय-समय पर ऐसी अवधि को किसी एक समय में तीन महीने से अधिक की अवधि तक बढ़ाने के लिए ऐसे आदेश में संशोधन कर सकती है।"

1.3 इस प्रावधान की व्याख्या इस माननीय न्यायालय द्वारा की गई है

चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,

(2015) 13 एस. सी. सी. 722 का अर्थ है कि पहली बार में निरोध आदेश केवल 3 महीने के लिए लागू हो सकता है। सरकार एक बार में अवधि को 3 महीने से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकती है ताकि समय-समय पर मूल्यांकन और समीक्षा की जा सके कि क्या किसी व्यक्ति को लगातार हिरासत में रखना आवश्यक है। नतीजतन, लगातार 12 महीने के लिए पारित एक निरोध आदेश को बंदी के अधिकारों के लिए निवारक होने के रूप में रद्द कर दिया गया था। इस निर्णय के बाद इस माननीय न्यायालय ने आपराधिक अपील सं.

533

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 534 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

727/2017 'एस. पेंचलम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य' और लाहू श्रीरंग गटकल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2017) 13

एससीसी 519।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अब बिना किसी समीक्षा के लगभग 10 महीने हिरासत में बिताए हैं कि क्या उसकी निरंतर हिरासत आवश्यक है।

1.4 राज्य ने तर्क दिया है कि धारा 3 (2) का परंतुक उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके लिए राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को अपनी शक्तियां सौंप सकती है।

गुरप्रीत कौर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1992) 2 एस. सी. सी. 177; टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार, (1990) 2 एस. सी. सी. 456; और अरविंद चौधरी बनाम तेलंगाना राज्य, आदेश डी. टी.05.05.2017

सीआरएल में। अपील सं. 924/2017।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होते हैं।

1.5 सबसे पहले, प्रत्यर्थियों द्वारा उद्धृत सभी निर्णय संबंधित कानून की धारा 3 (1) के तहत सीधे पारित निरोध आदेशों की वैधता से संबंधित थे [गुरप्रीत कौर का पैरा 2, टी. देवकी का पैरा 1 और अरविंद चौधरी का पेज 2 देखें]।इन मामलों में यह तर्क दिया गया था कि धारा 3 (2) के परंतुक के अनुसार [धारा 3 (1) के तहत] निरोध आदेश 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किए जा सकते थे।इसी संदर्भ में गुरप्रीत कौर के पैरा 33, टी. देवकी के पैरा 8 और अरविंद चौधरी के परिच्छेदों को प्रस्तुत किया गया था।अतः इन आदेशों को अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए आदेशों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अरविंद चौधरी में इस माननीय न्यायालय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि: "...तीन महीने की सीमा उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (2) पर लागू होती है न कि धारा 3 (1) पर।यह तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से स्पष्ट है।

इस न्यायालय ने 1990 में (2) एस. सी. सी. 456 टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार।

दूसरी ओर, चेरुकुरी मणि में निरोध आदेश जिला मजिस्ट्रेट [पैरा 2] यानी आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत जारी किया गया था, और इसलिए यह निर्णय सीधे मुद्दे पर है।

1.6 दूसरा, राज्य द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली व्याख्या धारा 3 (2) के परंतुक को अर्थहीन बना देती है।धारा 3 (3) के संदर्भ में

एपी अधिनियम, धारा 3 (2) के तहत अधिकारी को सरकार को निरोध आदेश और आधारों की "तुरंत" रिपोर्ट करने की आवश्यकता है और "ऐसा कोई भी आदेश इसे बनाने के बाद बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि, इस बीच, इसे सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।"अतः धारा 3 (3) राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवारक निरोध आदेशों को तुरंत जांच और स्वीकार करने के अधीन करके जारी करने की जाँच करती है।

1.7 उस समय अवधि को सीमित करना जिसके लिए राज्य सरकार इस तरह के कार्यालय को अपनी शक्तियों को एक बार में 3 महीने तक सौंप सकती है, न तो किसी शरारत को रोकती है और न ही किसी सार्थक उद्देश्य को पूरा करती है।ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 3 (2) के तहत एक आदेश बहुत कम समय तक चलता है, और 12 दिनों में समाप्त हो जाता है जब तक कि सरकार द्वारा अनुमोदित न हो।उल्लेखनीय है कि निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (निरस्त) की धारा 3 (2) और 3 (3) के अनुसार, जिस पर राज्य के कानून बनाए गए हैं, ऐसे आदेश भी 12 दिनों के लिए वैध थे।हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए इसमें कोई समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।इसलिए यह बेतुका है कि राज्य सरकार पर ऐसी शर्त लगाई जानी चाहिए।तदनुसार, धारा 3 (2) के परंतुक को एक सार्थक उद्देश्य और उद्देश्य केवल तभी दिया जा सकता है जब एक बार में 3 महीने की सीमा निरोध की अवधि पर लागू होती है, न कि प्रत्यायोजन की अवधि पर।

1.8 तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की अवधि को 3 महीने तक कम करने पर कुछ महत्व देता है जब तक कि कुछ सख्त शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि कोई भी कानून 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए निवारक निरोध का प्रावधान नहीं कर सकता है जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त नहीं की जाती है। इसके अलावा, अनुच्छेद 22 (7) (ए) संसद से उन परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक कानून पारित करने की अपेक्षा करता है जिनके तहत व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।इसलिए धारा 3 (2) का परंतुक और चेरुकुरी मणि में इसकी व्याख्या इस धारणा की अभिव्यक्ति है कि एक निवारक निरोध आदेश की समीक्षा 3 महीने के बाद की जानी चाहिए, जो अनुच्छेद 22 में निहित एक सीमा है।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 536 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

तब वह निर्माण जो बंदी के लाभ को सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा को आगे बढ़ाता है, का समर्थन किया जाना चाहिए। निवारक निरोध कानून/अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 के तहत नियम का केवल एक अपवाद है, और इसलिए इसे संकीर्ण सीमाओं के भीतर सीमित किया जाना चाहिए। नतीजतन, चेरुकुरी मणि में धारा 3 (2) परंतुक की व्याख्या को प्रत्यर्थियों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निम्नलिखित मामले कानून का संदर्भ दिया जा सकता है:

(क) एम. रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, निदेशालय

इंटेलिजेंस, (2021) 2 एस. सी. सी. 485।

(ख) रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 244 [पैरा।

13-17 & 21]।

II. निरोध आदेश बासी सामग्री पर आधारित है।

2.1 यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि निवारक निरोध का आदेश केवल आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकता है जिसका किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की तत्काल आवश्यकता के साथ निकट संबंध है। इसलिए पुरानी घटनाओं पर आधारित आदेश टिकाऊ नहीं है। रिलायंस को निम्नलिखित निर्णयों पर रखा गया है:

(क) खाजा बिलाल अहमद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, (2020) 13

एस. सी. सी. 632 [पैरा 21-23 और 28]

(ख) मल्लदा के. श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, 2022 एससीसी

ऑनलाइन एससी 424 [पैरा 11-15]।

2.2 मल्लाडा के. श्री राम में, 19.05.2021 का निरोध आदेश 15.10.2020 और 17.12.2020 की 2 प्राथमिकियों पर आधारित था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पहली प्राथमिकी में 08.01.2021 पर और दूसरी प्राथमिकी में 11.01.2021 [पैरा 4 और 5] पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। यह माननीय न्यायालय उक्त निरोध आदेश को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रसन्न था कि यह पहली प्राथमिकी के लगभग 7 महीने बाद और दूसरी प्राथमिकी के 5 महीने बाद पारित किया गया था, और इसलिए यह बासी सामग्री पर आधारित था और दिमाग का उपयोग न करने का प्रदर्शन करता था [पैरा 11]। यह निर्णय इस मामले के तथ्यों में पूरी तरह से लागू होता है।

2.3 वर्तमान मामले में दिनांकित 25.08.2022 निरोध आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित प्राथमिकियों पर आधारित है:

(क) एफ. आई. आर. सं. 1/(2021)-तुनी-13 दिनांक 06.01.2021, निरोध आदेश से 1 वर्ष 7 महीने और 20 दिन पहले दर्ज की गई। याचिकाकर्ता को इस मामले में 08.01.2021 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(ख) एफ. आई. आर. सं. 8/(2021)-तुनी-376 दिनांक 13.08.2021, निरोध आदेश से 1 वर्ष और 12 दिन पहले दर्ज की गई। याचिकाकर्ता को इस मामले में 18.08.2021 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(ग) एफ. आई. आर. सं. 10/(2021)-तुनी-532 दिनांक 30.09.2021, निरोध आदेश से 10 महीने और 26 दिन पहले दर्ज की गई। याचिकाकर्ता को इस मामले में 07.10.2021 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(घ) एफ. आई. आर. सं. 3/(2022)-तुनी-113 दिनांक 09.03.2022, निरोध आदेश से 5 महीने और 17 दिन पहले दर्ज की गई याचिकाकर्ता को इस मामले में 08.04.2022 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

2.4 अंतिम एफ. आई. आर. (08.04.2022) में जमानत पर रिहा होने और निवारक हिरासत (25-26.08.2022) में लिए जाने के बीच 4 महीने और 18 दिन के अंतराल के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में कोई आरोप नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जिन आधारों पर याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था, वे पुराने हैं।

III. स्थिति से निपटने के लिए सामान्य कानून और व्यवस्था पर्याप्त है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में कोई पूर्वाग्रह नहीं है

3.1 एपी अधिनियम की धारा 3 (1) या 3 (2) के तहत एक निरोध आदेश अन्य बातों के साथ-साथ एक "शराब तस्कर" के खिलाफ जारी किया जा सकता है ताकि उसे "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने" से रोका जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एपी अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत 'शराब तस्कर' नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह अवैध रूप से आसुत शराब के आसवन, निर्माण, भंडारण, आयात/निर्यात, बिक्री या वितरण में शामिल था या किसी भी संगठित या प्रणालीगत आपराधिक गतिविधि या कार्टेल के हिस्से में शामिल एक मास्टरमाइंड था। याचिकाकर्ता ने बार-बार कहा है कि वह केवल एक दिहाड़ी मजदूर था जो कुली के रूप में काम करता था।

3.2 पूर्वाग्रह के बिना, इस माननीय न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वह 537 वर्ष का है।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 538 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

एक शराब तस्कर, जब तक कि गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था को भी प्रभावित नहीं करती है। उल्लेखनीय है कि यह आरोप लगाया गया था कि इन मामलों में बंदी खतरनाक हथियारों/हथियारों, बल और हिंसा का उपयोग कर रहे थे, जिससे क्षेत्र के निवासियों में भय और आतंक का माहौल पैदा हो गया था। फिर भी इन्हें 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने या निवारक हिरासत की गारंटी देने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं माना गया था।

(क) पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त,

अहमदाबाद शहर और अन्न। (1989) पूरक (1) एस. सी. सी. 322 [पैरा 14-18]

(ख) ओमप्रकाश बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य, (1989) सप्लीमेंट

(2) एस. सी. सी. 576 [पैरा 1,6-11]

(ग) राशिदमिया @छावा अहमदिया शेख बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और अन्न, (1989) 3 एस. सी. सी. 321 [पैरा 3-6 & 16-21]

(घ) अहमद हुसैन शेख हुसैन @अहमद कालियो बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और अन्न, (1989) 4 एस. सी. सी. 751

[पैरा 3,11,13-15]।

3.3 धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण के अनुसार, विचाराधीन गतिविधि को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल होने के लिए "आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच नुकसान, खतरा या खतरे या असुरक्षा की भावना या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर व्यापक खतरे" का कारण बनना चाहिए। अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक व्यवस्था' सामान्य 'कानून और व्यवस्था' से अलग है और इसकी व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्य ऐसे होने चाहिए जैसे कि बड़े पैमाने पर जनता के बीच दहशत, भय या असुरक्षा पैदा करना, समुदाय के जीवन की गति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति, समाज और बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए गंभीर अशांति पैदा करना। जहाँ देश का सामान्य कानून विचाराधीन मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है, वहाँ निवारक निरोध का सहारा लेना अवैध है।

(क) रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 244 [पैरा।

13- 17, 21, 23 & 29-35].

(ख) मुनगाला यादम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य,

(2012) 2 एस. सी. सी. 386 [पैरा 7-9]

(ग) बांका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, (2021)

9 एस. सी. सी. 415 [पैरा 12-15,19-25,29-30 और 32]

3.4 वर्तमान मामले में, एपी निषेध अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ 4 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दायर कर लिए गए हैं और इसलिए मामले सुनवाई के लिए तैयार हैं। इन मामलों में सामान्य 'कानून और व्यवस्था' की समस्याएं शामिल हैं। यदि अंततः सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो याचिकाकर्ता को आवश्यक सजा दी जाएगी। हालांकि, उसे केवल इसलिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता है और मुकदमे का सामना करने से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि वह कथित रूप से 'आदतन अक्षम' है या उसने सभी मामलों में जमानत प्राप्त कर ली है।

3.5 याचिकाकर्ता से कथित रूप से लिए गए नमूनों के रासायनिक विश्लेषण में कहा गया है कि वे "मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक" हैं। विवादित निर्णय में गलती से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता को निवारक रूप से हिरासत में रखने की आवश्यकता थी, यह जांच किए बिना कि क्या 'सार्वजनिक व्यवस्था' के प्रति पूर्वाग्रह के संबंध में धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण के तत्व संतुष्ट हैं। सभी 4 मामलों में याचिकाकर्ता के कब्जे में मिली आईडी शराब की कुल मात्रा कथित रूप से 55 लीटर है, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी व्यक्ति ने याचिकाकर्ता से किसी भी शराब का सेवन किया या उसके जीवन को खतरे में डाला या इसके परिणामस्वरूप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। केवल प्रयोगशाला रिपोर्ट इस बात का निर्धारण नहीं कर सकती है कि क्या कथित आपराधिक गतिविधि इतनी परिमाण या तीव्रता की है कि "सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर व्यापक खतरे" का गठन करती है।

3.6 विशेष रूप से, रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (ऊपर) में, बंदी

लेबल [पैरा 2] के साथ छेड़छाड़ करने के बाद समाप्त हो चुकी दवाओं को बेचने का आरोप लगाया गया था। मुनगाला यादम्मा (ऊपर) में, शराब की अवैध तस्करी/अवैध रूप से आसवन का आरोप था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी समाप्त हो चुकी दवाएं या अवैध रूप से आसुत शराब मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो सकती हैं और ऐसे उत्पादों का सेवन करने वालों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। फिर भी, इन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल नहीं माना जाता था। बल्कि, आई. पी. सी./ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और ए. पी. निषेध अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के सामान्य प्रावधानों को इन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त माना गया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ निवारक निरोध आदेशों को रद्द कर दिया जाए, और उसे सामान्य उचित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमे का सामना करने की अनुमति दी जाए।

539

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 540 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

IV. निरोध आदेश असमान हैं और मन के गैर-अनुप्रयोग से पीड़ित हैं।

4.1 आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 3 (1) या 3 (2) के तहत निरोध आदेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए "ऐसा करना आवश्यक है"। आनुपातिकता का सिद्धांत, जिसके लिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाते समय कम से कम प्रतिबंधात्मक साधनों का उपयोग किया जाए, इसलिए कानून में बनाया गया है।

[मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम देखें। भारत संघ और अन्य, 2023]

4.2 वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को राज्य को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसके खिलाफ सभी मामलों में जमानत दी गई थी। यदि याचिकाकर्ता ने बाद में कोई अपराध किया या जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया, तो राज्य को जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के स्वतंत्रता के अधिकार में भारी कटौती करने वाले निवारक निरोध आदेश का जारी होना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को किसी भी कथित आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से रोकने का न तो सबसे उपयुक्त और न ही सबसे कम प्रतिबंधात्मक तरीका है।

4.3 पूर्वाग्रह के बिना, एक व्यक्ति को केवल उस अवधि के लिए निवारक रूप से हिरासत में लिया जाना चाहिए जो बिल्कुल आवश्यक है ताकि विचाराधीन उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके यानी सार्वजनिक अव्यवस्था को रोका जा सके। जबकि आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि 12 महीने हो सकती है, फिर भी राज्य को कम अवधि के लिए प्रावधान करने या धारा 14 के तहत निरोध आदेश को रद्द/संशोधित करने का विवेकाधिकार है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने जी. ओ. दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी दिमाग के या कोई कारण बताए कि यह क्यों आवश्यक है, अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाए।

4.4 इसके अलावा, काकीनाडा के पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांकित 05.08.2022 के प्रस्ताव के आधार पर हिरासत के आधार और दिनांकित 25.08.2022 का आदेश जारी किया गया था। इस प्रस्ताव के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इसमें निरोध के आधार दिनांकित 25.08.2022 आदेश के साथ जुड़े निरोध के आधारों के समान हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि 25.08.2022 दिनांकित आदेश एसपी के प्रस्ताव पर अंधी निर्भरता रखते हुए पारित किया गया था, बिना

मन का कोई भी स्वतंत्र अनुप्रयोग। धारा 3 (2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई शक्ति और विवेकाधिकार को वस्तुतः पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया गया है, जो अनुज्ञेय नहीं है।

V. एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका याचिकाकर्ता की ओर से बनाए रखने योग्य है

5.1 याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. संख्या 33638/2022 दिनांक 13.10.2022 को प्राथमिकता दी थी और अन्य बातों के साथ-साथ अपने निरोध आदेश दिनांक 25.08.2022 को बंद करने और जेल से उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना की थी। चूंकि इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जी. ओ. आर. टी. संख्या 2190 दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से प्रत्यर्पण आदेश जारी किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने बाद में दिनांकित 18.10.2022 के आदेश को भी चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन किया।

5.2 प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट वर्तमान मामले में बनाए रखने योग्य नहीं है।

गृह सचिव (जेल) बनाम एच. निलोफर निशा, (2020) 14 एससीसी 161।

उक्त निर्णय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए होगा जो अदालत के आदेशों के अनुसार कारावास की सजा से गुजर रहा है, और जिसे अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया था [पैरा 1 और 17]। यह निवारक निरोध से पूरी तरह से अलग है। वास्तव में, उक्त निर्णय के पैरा 16 में ही यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग अक्सर निवारक निरोध मामलों में एक उपाय के रूप में किया जाता है क्योंकि उक्त आदेश को केवल रिट अधिकार क्षेत्र में ही चुनौती दी जा सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता के नेतृत्व में रिट याचिका बनाए रखने योग्य थी।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि 07.03.2023 दिनांकित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित 25.08.2022 दिनांकित आदेश और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए 01.09.2022 और 18.10.2022 दिनांकित प्रत्यर्पण आदेशों को रद्द कर दिया जाए, और याचिकाकर्ता को केंद्रीय जेल, राजमहेन्द्रवरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश से तुरंत रिहा कर दिया जाए।

7. यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता को किसी भी प्राथमिकी में दोषी ठहराया जाता है, जिस पर निरोध आदेश आधारित था, तो 541

अवैध निवारक निरोध में बिताई गई अवधि को उसके तहत लगाए गए कारावास की किसी भी सजा के प्रयोजनों के लिए की गई अभिरक्षा के रूप में माना जा सकता है।"

जिम्मेदारों के स्वयं के बारे में सुझाव

9. उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री महफूज ए. नाज़की ने अपनी लिखित दलीलों में इस प्रकार कहा:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"ए. 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) की व्याख्या

आई. धारा 3, प्रासंगिक सीमा तक, निम्नानुसार है:

3. कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति:- (1) यदि सरकार किसी शराब तस्कर, डकैत, नशीली दवा बेचने वाले, गुंडा, अनैतिक तस्करी करने वाले या भूमि हड़पने वाले के संबंध में संतुष्ट हो जाती है कि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो आदेश दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वे लिखित आदेश द्वारा,

निर्देश दें कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, तो उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत सरकार द्वारा दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अवधि पहली बार में नहीं होगी,

तीन महीने से अधिक, लेकिन सरकार, यदि उपरोक्त रूप से संतुष्ट होती है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो समय-समय पर ऐसी अवधि को किसी भी समय तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए ऐसे आदेश में संशोधन कर सकती है।"

ii. उपरोक्त प्रावधान के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है कि निरोध आदेश पारित करने की शक्ति आम तौर पर 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत राज्य सरकार की है।

iii. हालाँकि, ऐसी शक्ति, धारा 3 (2) के तहत, राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (डी. एम.) या जिला मजिस्ट्रेट (डी. एम.) के आयुक्त को सौंपी जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

पुलिस (आयुक्त)। यही पर परंतुक लागू होता है और यह प्रावधान करता है कि डीएम/आयुक्त के पक्ष में ऐसा प्रतिनिधिमंडल एक बार में तीन महीने से अधिक समय तक वैध नहीं हो सकता है।

iv. इसलिए यह स्पष्ट है कि "तीन महीने" की अवधि निरोध की अवधि से संबंधित नहीं है, बल्कि उस अवधि से संबंधित है जिसके लिए राज्य सरकार का डीएम या आयुक्त को निरोध आदेश जारी करने का अधिकार देने वाला आदेश मान्य हो सकता है।

v. उपरोक्त दृष्टिकोण को इस माननीय न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में समर्थन मिला है जिनमें शामिल हैं:

- गुरप्रीत कौर (श्रीमती) हरजिंदर सिंह बेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर., (1992) 2 एस. सी. सी. 177 ("गुरप्रीत कौर"), @para 31-33
- महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम बालू, (2021) 13 एस. सी. सी. 454, @पैरा 6.3 से 6.6

- टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, (1990) 2 एससीसी 456, @para 10

- अरविंद चौधरी बनाम तेलंगाना राज्य, आपराधिक अपील No.924/2017 @pg12 फैसले का

vi)यह उल्लेख किया जा सकता है कि टी. देवकी में निर्णय तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया है।

vii.यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता (ऊपर उल्लिखित) द्वारा दिए गए दोनों निर्णयों में उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

आदेश में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि सख्ती से **1986** के अधिनियम के अनुसार है।

viii.इस स्तर पर, 1986 के अधिनियम की योजना पर ध्यान दिया जा सकता है: • जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 3 (1) या धारा के तहत राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट/आयुक्त [सरकार के प्रतिनिधि के रूप में] द्वारा निरोध आदेश पारित किया जाता है।

3(2) क्रमशः अधिनियम का प्रावधान में निरोध के क्रम में किसी भी समय अवधि को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है [देखें

टी. देवकी @para 10,12 13 और 15]।

543

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 544

[ध्यान दें:वर्तमान मामले में, जी. ओ. Rt.No के माध्यम से डी. एम. को शक्ति सौंपी गई थी। 1089 दिनांक 09.06.2022 [अनुलग्नक 1 के रूप में इसके साथ संलग्न] और निरोध आदेश उसके बाद 25.08.2022 पर पारित किया गया था-यानी, तीन महीने के समय के भीतर।]

- धारा 3 (3) के तहत, मजिस्ट्रेट/आयुक्त द्वारा निरोध आदेश पारित किए जाने के मामले में एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है।इस धारा की अपेक्षा है कि डी. एम./आयुक्त द्वारा पारित निरोध आदेश को राज्य सरकार द्वारा 12 दिनों की अवधि के भीतर स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा यह 12 दिनों की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाता है।

[ध्यान दें:वर्तमान मामले में, राज्य सरकार द्वारा 12 दिनों की अवधि के भीतर 01.09.2022 पर समझौते का आदेश पारित किया गया था।]

- इसके बाद, धारा 10 के तहत, सभी प्रासंगिक सामग्री के साथ निरोध आदेश को निरोध की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। • यदि सलाहकार बोर्ड निरोध आदेश को स्वीकार करता है,

सरकार, धारा 13 के साथ पठित धारा 12 के तहत, निरोध आदेश को अधिकतम अवधि के लिए जारी रखने का निर्देश दे सकती है।

बारह महीने।केवल इस प्रावधान के तहत ही नजरबंदी की अवधि निर्धारित की गई है।

[ध्यान दें:धारा 12 के तहत आदेश सरकार on18.10.2022 द्वारा पारित किया गया था।]

ix.वर्तमान मामले में, उपरोक्त प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया था।धारा 13 के साथ पठित धारा 12 के तहत पारित आदेश में एक वर्ष की अवधि का उल्लेख किया गया है, न कि धारा 3 के तहत पारित निरोध आदेश में।इसलिए याचिकाकर्ता की दलीलें स्पष्ट रूप से गलत हैं।निरोध आदेश को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से पारित किया गया है।

ख. निरोध आदेश बासी नहीं है।

आई. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उसके कृत्यों और निरोध आदेश के बीच कोई निकट संबंध नहीं है।उक्त निवेदन है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

गलत धारणा है। तथ्यात्मक पहलुओं का विवरण देने से पहले, निम्नलिखित कानूनी स्थिति पर ध्यान दिया जा सकता है:

- यदि आधार निकटवर्ती घटनाओं की एक श्रृंखला बनाते हैं और यदि अंतिम घटना निरोध की तारीख के निकट है, तो इस तरह के निरोध आदेश को बासी होने के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है, भले ही पहले की घटनाएं निरोध की तारीख के निकट न हों।[द.

क्लेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, डब्ल्यू. जी. जिला। एलुरु, आंध्र प्रदेश बनाम संगला कोंडम्मा, 2005 3 एससीसी 666 (@पैरा 10) ("संगला कोंडम्मा")]

- प्रत्येक मामले का विश्लेषण इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर किया जाना चाहिए।

और-तेज़ सूत्र रखा जा सकता है या इसमें रखा गया है

ध्यान दें "[लिसल एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्न, (2014) 11

एस. सी. सी. 326 @para 18]।

- 'निकटता' शब्द का अर्थ कोई तत्काल निकटता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कुछ ऐसा है जो एक पैटर्न को इंगित करता है।

[भूपेंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्न, (2008) 17 एस. सी. सी.

165, @पैरा 10]।"

चर्चा

10. इससे पहले कि हम दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विज्ञापन करें, हमें प्रस्तावना और अधिनियम 1986 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना चाहिए। अधिनियम 1986 की प्रस्तावना इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“आरम्भिक

बूटलेगर्स, डकैतों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों, गुंडों, अनैतिक तस्करी करने वालों और भूमि हड़पने वालों को उनकी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए निवारक हिरासत का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल है।

जबकि कुछ व्यक्तियों की खतरनाक गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था पर समय-समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिन्हें शराब तस्कर, डकैत, नशीली दवाओं का सेवन करने वाले, गुंडे, अनैतिक तस्करी करने वाले और भूमि हड़पने वाले के रूप में जाना जाता है।

और उन व्यक्तियों के संसाधनों और प्रवाह को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा, बड़े पैमाने पर, और जिस तरह से खतरनाक गतिविधियों को गुप्त रूप से आयोजित किया जा रहा है और ले जाया जा रहा है 545

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 546 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर, आंध्र प्रदेश राज्य में और विशेष रूप से इसके शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब तस्करी, डकैतों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों, गुंडों, अनैतिक तस्करी करने वालों या भूमि हड़पने वालों के रूप में, आंध्र प्रदेश राज्य में इन छह वर्गों के व्यक्तियों को निवारक हिरासत में रखने और उनसे जुड़े मामलों के लिए एक विशेष कानून होना आवश्यक है:"

11. उपरोक्त अधिनियम 1986 28.02.1986 से प्रभावी अधिनियम के साथ लागू हुआ। धारा 2 (ए) इस प्रकार है:- -
प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“खंड 2.— परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(क) "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करना" का अर्थ है जब कोई शराब तस्कर, डकैत, मादक पदार्थ बेचने वाला, गुंडा, अनैतिक तस्करी करने वाला या जमीन हड़पने वाला अपनी किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है या शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखता है:

व्याख्या:—इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, या अन्य बातों के साथ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, यदि इस खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता या उसकी किसी धारा के बीच किसी भी नुकसान, खतरे या खतरे या असुरक्षा की भावना या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरे का कारण बन रही है या इसकी गणना की जा रही है।

(जोर दिया गया) 12. धारा 2 (बी) "बूट-लेगर" को परिभाषित करती है। धारा 2 (बी) इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(ख) "बूट-लेगर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम 17) और उसके तहत बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, या उस समय लागू किसी अन्य कानून का उल्लंघन करते हुए, या जो जानबूझकर कोई पैसा खर्च करता है या लागू करता है या किसी पशु, वाहन, पोत या अन्य परिवहन या किसी पात्र या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करता है, उसका आसवन, निर्माण, भंडारण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री या वितरण करता है।

उपरोक्त में से किसी भी कार्य को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करने का प्रोत्साहन या समर्थन, या जो किसी अन्य तरीके से ऐसा करने में सहायता करता है;

(जोर दिया गया) 13. धारा 3 कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति के संबंध में है। धारा 3 इस प्रकार है:- -
प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“खंड 3. कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति:— (1) द.

यदि सरकार किसी शराब तस्कर, डकैत, मादक पदार्थ बेचने वाला, गुंडा, अनैतिक तस्करी करने वाले या भूमि हड़पने वाले के संबंध में संतुष्ट हो जाती है कि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो आदेश दे कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वे लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत सरकार द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि पहली बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन सरकार, यदि उपरोक्त रूप से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे आदेश में संशोधन कर सकती है ताकि समय-समय पर ऐसी अवधि को किसी भी समय में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सके।

(3) जब इस धारा के तहत कोई आदेश उप-धारा (2) में उल्लिखित एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह तुरंत सरकार को उन आधारों के साथ तथ्य की रिपोर्ट करेगा, जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण, जो उसकी राय में हैं, मामले पर असर डालते हैं, और ऐसा कोई भी आदेश उसके बनने के बाद बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच सरकार द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया हो।”

14. धारा 12 सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रावधान करती है। वह इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ धारा 12. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई:—(1) किसी भी मामले में

जहां सलाहकार बोर्ड ने सूचित किया है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण है, सरकार निरोध आदेश को स्वीकार कर सकती है और ऐसी अवधि के लिए संबंधित व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है, जो धारा 13 में निर्दिष्ट अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो, जैसा कि वे समझते हैं।

(2) किसी भी मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में, संबंधित व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी और व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगी।”

15. धारा 13 निरोध की अधिकतम अवधि का प्रावधान करती है। धारा 13 इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा 13. नजरबंदी की अधिकतम अवधि:— अधिकतम अवधि

जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है, जिसे धारा 12 के तहत स्वीकार किया गया है, हिरासत की तारीख से बारह महीने का होगा।”

(बल दिया गया)

निवारक विवरण की आवश्यक अवधारणा

16. निवारक निरोध की आवश्यक अवधारणा यह है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना उसे उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए है। निरोध का आधार कार्यपालिका की संतुष्टि है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अपने पिछले कृत्यों के समान व्यवहार करने और उसे ऐसा करने से रोकने की उचित संभावना है। दूसरी ओर आपराधिक दोषसिद्धि पहले से किए गए कार्य के लिए होती है जो केवल मुकदमे और कानूनी साक्ष्य द्वारा ही संभव हो सकता है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष और अधिनियम 1986 के तहत निरोध आदेश के बीच कोई समानता नहीं है। एक दंडात्मक कार्रवाई है और दूसरा निवारक कार्य है। एक मामले में एक व्यक्ति को उसके अपराध के प्रमाण पर दंडित किया जाता है और मानक उचित संदेह से परे प्रमाण है, जबकि दूसरे में एक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है जो निवारक निरोध को अधिकृत करने वाले अधिनियम में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

17. निवारक निरोध की शक्ति दंडात्मक निरोध से गुणात्मक रूप से अलग है। निवारक निरोध की शक्ति एक एहतियाती शक्ति है जिसका प्रयोग उचित प्रत्याशा में किया जाता है। हो सकता है कि इसके महापौर का संबंध एक असंबद्ध स्थिति से न हो। यह एक समानांतर कार्यवाही नहीं है। यह अभियोजन के साथ ओवरलैप नहीं करता है, भले ही यह कुछ तथ्यों पर निर्भर करता हो जिनके लिए अभियोजन शुरू किया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है। निवारक निरोध का आदेश अभियोजन से पहले या अभियोजन के दौरान दिया जा सकता है। निवारक निरोध का आदेश अभियोजन के साथ या उसके बिना और प्रत्याशा में या निर्वहन या बरी होने के बाद भी किया जा सकता है। अभियोजन की विचाराधीनता निवारक निरोध के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं है। निवारक निरोध का आदेश भी कोई बाधा नहीं है।

अभियोजन के लिए। (देखिए: हरधन साहब। राज्य डब्ल्यू. बी. और अन्य,

1974 Cri.L.J.1479]

18. हैल्सबरी के लॉज ऑफ़ इंग्लैंड में, यह इस प्रकार कहा गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“हेबियस कॉर्पस एंड सबजीसिण्डम की रिट अन्य रिटों के विपरीत, एक विशेषाधिकार रिट है, अर्थात् यह एक असाधारण उपाय है, जो उन मामलों में दिखाए गए कारण पर जारी किया जाता है जहां सामान्य कानूनी उपचार लागू नहीं होते हैं या अपर्याप्त होते हैं। यह रिट अधिकार का एक रिट है और इसे पूर्व-डेबिट अनुदान दिया जाता है। हालाँकि, यह निश्चित रूप से एक रिट नहीं है। सामान्य कानून और कानून दोनों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल उचित आधार पर दी जा सकती है क्योंकि इसका मुद्दा दिखाया जा रहा है। रिट को सामान्य रूप से केवल एक वैकल्पिक उपाय के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा निरोध की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। “किसी भी व्यक्ति को अवैध कारावास से दूसरे को मुक्त करने के उद्देश्य से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति जो कानूनी रूप से दूसरे की अभिरक्षा का हकदार है, अभिरक्षा को पुनः प्राप्त करने के लिए रिट के लिए आवेदन कर सकता है। किसी भी मामले में, जहां किसी व्यक्ति को कथित रूप से अन्यायपूर्ण रूप से सक्षम रूप से हिरासत में लिए जाने से इनकार कर दिया जाता है, ताकि कैदी की ओर से कोई निर्देश न हो, तो आवेदन किसी भी रिश्तेदार या दोस्त द्वारा एक एफ. आई. डेविट पर किया जा सकता है जिसमें इसके होने का कारण बताया गया हो।”

19. कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की प्रकृति का सारांश इस प्रकार दिया गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक रिट है जो दूसरे को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को निर्देशित करती है, जिसमें उसे 549 पर कैदी का शव पेश करने का आदेश दिया जाता है।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 550

उसके शीर्षक और निरोध के दिन और कारण के साथ एक निर्दिष्ट समय और स्थान जो कुछ भी करने, प्रस्तुत करने और प्राप्त करने के लिए न्यायालय या न्यायाधीश उस ओर से विचार करेंगे।” “‘हेबियस कॉर्पस’ का शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर होना’। इस रिट के माध्यम से, अदालत यह पता लगाने के लिए कि हिरासत कानूनी है या अवैध, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शव को उसके सामने लाने का निर्देश दे सकती है। एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र में रिट की प्रमुख स्थिति ऐसी है।”

20. हुड फिलिप्स एंड द्वारा संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में

जैक्सन, यह इस प्रकार कहा गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक आवेदन द्वारा किसी भी प्रकार के निरोध की वैधता को सामान्य कानून में चुनौती दी जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट था, जो राजा द्वारा अपने अधिकारियों को अपने कार्यों को ठीक से करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया गया था। स्वतंत्रता के लिए एक आवेदक के दावे के निर्धारण के लिए एक त्वरित न्यायिक उपचार प्रदान करने के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण के व्यावहारिक महत्व पर न्यायाधीशों और लेखकों द्वारा अक्सर जोर दिया गया है। फिर भी, उपचार की प्रभावशीलता कई उदाहरणों में उस वैधानिक शक्ति की व्यापकता पर निर्भर करती है जिसके तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण कार्य कर सकता है और व्यापक वैधानिक प्रावधान पर भरोसा करते हुए किए गए निर्णय की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालयों की इच्छा पर निर्भर करती है। यह सुझाव दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के “कुंद उपचार” की आवश्यकता कम हो गई है क्योंकि न्यायिक समीक्षा एक और अधिक व्यावहारिक अधिकार क्षेत्र में विकसित हो गई है। रिट का प्रक्रियात्मक सुधार उचित हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और न्यायिक समीक्षा के तहत उपचारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर की दृष्टि को न खो दिया जाए। उत्तरार्द्ध विवेकाधीन हैं और न्यायालय व्यावहारिक आधारों पर राहत देने से इनकार कर सकता है; बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का एक रिट है, जिसे पूर्व भुगतान किया जाता है।”

21. बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्राचीन विशेषाधिकार लेख अपना नाम दो अनिवार्य शब्दों “बंदी प्रत्यक्षीकरण” और “प्रत्यक्षीकरण” से लेता है। “‘हेबियस कॉर्पस’ का शाब्दिक अर्थ है ‘उसका शरीर होना’। इन रिटों का सामान्य उद्देश्य, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, किसी व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के समक्ष पेश करना था। यह गैरकानूनी या अन्यायपूर्ण हिरासत से तत्काल रिहाई की प्रभावी राहत का आदेश देकर विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक विशेषाधिकार प्रक्रिया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में। यह है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी संप्रभु और दिव्य प्राधिकारी का एक लेख जिसके खिलाफ शक्ति या स्थान का कोई विशेषाधिकार खड़ा नहीं हो सकता है। यह न केवल निजी व्यक्तियों के बल्कि कार्यपालिका के मनमाने कृत्यों के खिलाफ विषय की एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा है, जो सभी संवैधानिक न्यायविदों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। रिट एक विशेषाधिकार है जो अपनी प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। इंग्लैंड में, एक रिट देने का अधिकार क्षेत्र सामान्य कानून में मौजूद था, लेकिन इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है और विस्तारित किया गया है। इंग्लैंड में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट अधिकार की है और अदालत को इसे अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। “सर्टिओरारी या मैंडमस के विपरीत, बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट हर उस व्यक्ति के अधिकार के रूप में है जिसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है। भारत में, यह विशेषाधिकार रिट है जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसलिए, यह इस देश के नागरिक के लिए उपलब्ध एक असाधारण उपाय है, जिसे वह अनुच्छेद 226 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लागू कर सकता है।

22. यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मनमाने और अवैध निरोध से नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस रिट को जारी करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक उपाय है जिसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है, न कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दंडित करने के लिए और इसलिए, शिकायत की गई नजरबंदी समाप्त होने के बाद इसे जारी नहीं किया जाता है। यह गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ एक उपाय है। यह एक आदेश के रूप में जारी किया जाता है जिसमें उस व्यक्ति से, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में, उस व्यक्ति का शव अदालत के समक्ष रखने का आह्वान किया जाता है ताकि अदालत को पता चल सके कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है और इस प्रकार अदालत को उसके साथ व्यवहार करने का अवसर दिया जा सके जैसा कि कानून की आवश्यकता हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट द्वारा, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, जिसे कैद किया गया है, न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और उसके कैद होने के कारण की जानकारी प्राप्त कर सकता है और फिर या तो उसे तब और वहाँ रिहा कर सकता है यदि कारावास के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं है, या यह देख सकता है कि उसे तेजी से मुकदमे में लाया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है, जिस पर किसी अन्य को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने का संदेह है, न कि केवल पुलिस या अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ, जिनके कर्तव्यों में आम तौर पर गिरफ्तारी और निरोध शामिल हैं। न्यायालय को इसे जारी करना चाहिए यदि यह दिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति की ओर से इसकी मांग की गई है, वह गैरकानूनी रूप से उसकी स्वतंत्रता से वंचित है। रिट किसी भी व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए-चाहे वह आधिकारिक हो या कोई निजी व्यक्ति-जिसकी हिरासत में कोई अन्य व्यक्ति हो। दावा (बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए) ठोस कानूनी मानकों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में व्यक्त और दबाया गया है। विशेष रूप से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 551 में जुड़ा हुआ है।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 552 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पर प्रक्रियाओं के साथ कानूनी और लोकप्रिय भावना दोनों। रिट केवल एक न्यायिक आदेश है जो एक विशिष्ट जेलर को निर्देशित करता है जो उसे हिरासत के कानूनी कारण के साथ नामित कैदी को पेश करने का निर्देश देता है ताकि हिरासत के इस कानूनी वारंट की जांच की जा सके। उक्त निरोध कानूनी या अवैध हो सकता है। जिस अधिकार को इस तरह के रिट द्वारा लागू करने की मांग की जाती है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो प्रदान करता है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ अनुच्छेद 21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।— कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।”

प्रस्तुतिकरण सं। 1 अपीलार्थी

23. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि निरोध के आदेश को ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम 1986 की धारा 3 (2) के प्रावधान के विपरीत कहा जा सकता है क्योंकि निरोध केवल पहली बार में तीन महीने की अवधि के लिए लागू हो सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, इसके बाद सरकार एक बार में तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ा सकती है ताकि समय-समय पर मूल्यांकन और समीक्षा की जा सके कि किसी व्यक्ति को लगातार हिरासत में रखना आवश्यक है या नहीं। संक्षेप में, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए

निवेदन का योग और सार यह है कि लगातार 12 महीने के लिए पारित निरोध आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना और अधिनियम 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधिदेश के विपरीत कहा जा सकता है। उक्त निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत भरोसा रखा है

चेरुकुरी मणि (ऊपर)।

24. हमें सबसे पहले चेरुकुरी मणि (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर गौर करना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) से भी संबंधित है। इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 10 में अधिनियम 1986 की पूरी धारा 3 को पुनः प्रस्तुत करने के बाद व्याख्या की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“11. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें हिरासत के आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। एकमात्र अंतर यह है कि सरकार द्वारा पारित निरोध का आदेश पहली बार में तीन महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।

जबकि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा पारित इसी तरह के आदेश 12 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू रहेंगे। 12 दिनों से अधिक समय तक नजरबंदी जारी रखना इस संबंध में सरकार द्वारा दी जाने वाली मंजूरी पर निर्भर करेगा। उप-धारा (3) इस पहलू को बहुत स्पष्ट करती है। अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि अधिनियम के तहत निरोध की अधिकतम अवधि 12 महीने है।

12. धारा 3 की उप-धारा (2) का प्रावधान समय-समय पर निरोध के आदेश के संचालन के बारे में इसके उद्देश्य में बहुत स्पष्ट है। पहली बार में नजरबंदी का आदेश तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगा। अकेले सरकार को इस अवधि को तीन महीने से आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। हालाँकि, इस तरह का विस्तार एक बार में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि, यदि सरकार किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने का इरादा रखती है, तो तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत का प्रारंभिक आदेश होना चाहिए, और कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए विस्तार के तीन आदेश होने चाहिए। “समय-समय पर किसी भी समय तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसी अवधि का विस्तार” अभिव्यक्ति इस संबंध में महत्वपूर्ण माना जाता है। 13. ऊपर उल्लिखित तरीके से समय-समय पर निरोध का आदेश पारित करने की आवश्यकता का अपना महत्व है। यह याद रखना चाहिए कि हिरासत की प्रारंभिक अवधि को तीन महीने तक सीमित करना और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) (ए) में निहित जनादेश का कार्यान्वयन है। यह नीचे लिखा है: “22. (4) निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि -

(क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए या किए जाने के योग्य व्यक्तियों से युक्त एक सलाहकार बोर्ड ने उक्त तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले सूचित किया है कि उसकी राय में इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं:

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को निर्धारित अधिकतम अवधि 553 से अधिक समय तक हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगी।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 554

खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और (ख) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है।”

14. जहां कानून किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी विशेष तरीके से किया जाने वाला कार्य निर्धारित करता है, वहां यह निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी तरीके से किया जाएगा। जब अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को एक समय में केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरोध का आदेश पारित करने का आदेश दिया, तो वर्तमान मामले में सरकारी आदेश, जिसमें अपीलार्थी के पति को

15. आम तौर पर, एक व्यक्ति जिसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया जाता है, वह बिना मुकदमे का सामना करता है जो दूसरे शब्दों में उसकी स्वतंत्रता में कटौती और नागरिक अधिकारों से इनकार करने के बराबर है। ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्ति को लगातार हिरासत में रखना आवश्यक है या नहीं, इसका मूल्यांकन और समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने किसी व्यक्ति की नजरबंदी की समीक्षा करने के लिए विशेष रूप से "सलाहकार बोर्ड" तंत्र प्रदान किया है। बिना उचित समीक्षा के लगातार बारह महीने की अवधि के लिए निरोध आदेश पारित करना, बंदी के अधिकारों के लिए निवारक है। इसलिए, सीधे बारह महीने की अधिकतम अवधि के लिए हिरासत का निर्देश देने वाले विवादित सरकारी आदेश को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।”.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि चेरुकुरी मणि (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने यह विचार लिया कि धारा 3 की उप-धारा (2) विशेष रूप से उप-धारा (2) का परंतुक निरोध के आदेश के प्रवर्तन के संबंध में है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह समय अवधि जिसके लिए बंदी को हिरासत में लिया जाना है।

26. उपरोक्त संदर्भ में, हम गहरे सम्मान के साथ कह सकते हैं कि चेरुकुरी मणि (उपरोक्त) सही कानून निर्धारित नहीं करता है। धारा 3 की उप-धारा (2) का निरोध की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। चेरुकुरी मणि (ऊपर) में, पीठ ने पूरे प्रावधान को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा।

27. हमारा विचार है कि धारा 3 (2) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, शक्तियों के प्रत्यर्पण के संबंध में है। अधिनियम 1986 की धारा 3 (2) में उल्लिखित अवधि शक्तियों के प्रत्यर्पण की अवधि को संदर्भित करती है और इसकी उस अवधि के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चेरुकुरी मणि (ऊपर) का निर्णय लेते समय विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की ओर नहीं खींचा गया था।

टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार, (1990) 2 एस. सी. सी. 456, जिसमें यह

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:- प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है

[illegible]

आयुक्त को प्रदत्त अपनी शक्ति सौंपने का अधिकार देती है, यदि यह संतुष्ट होता है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियाँ उन्हें शक्ति सौंपना आवश्यक बनाती हैं। यह आगे 555

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 556 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

यह प्रावधान है कि प्रतिनिधि मंडल का आदेश लिखित में होगा और यह उस अवधि को भी निर्दिष्ट करेगा जिसके दौरान जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। उप-धारा (2) के प्रावधान में कहा गया है कि प्रत्यायोजन असीमित अवधि के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि राज्य सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि प्रतिनिधि मंडल की अवधि बढ़ाना आवश्यक है तो वह अपने आदेश में संशोधन कर सकती है, समय-समय पर ऐसी अवधि बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी समय विस्तार तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। एक बार जब धारा 3 (1) के तहत राज्य सरकार की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को सौंप दी जाती है, तो वे अधिनियम की धारा 3 (1) में निर्दिष्ट आधार पर उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होते हैं। न तो उप-धारा (1) और न ही अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) निरोध अधिकारी से निरोध की अवधि निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करती है जिसके लिए एक बंदी को निरोध में रखा जाना है।

9. धारा 3 (3) में यह अपेक्षा की गई है कि जहां राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा निरोध किया जाता है, उन्हें इस तथ्य को राज्य सरकार को उन आधारों के साथ रिपोर्ट करना चाहिए जिनके आधार पर आदेश दिया गया हो सकता है और ऐसे अन्य विवरण, जो उनकी राय में, मामले पर असर डाल सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा अपने प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया निरोध आदेश बनाए जाने के बाद बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहता है, जब तक कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा निरोध आदेश को मंजूरी नहीं दी जाती है। धारा 8 निरोध प्राधिकारी से यह अपेक्षा करती है कि वह निरोध की तारीख से पांच दिनों के भीतर राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने में सक्षम बनाने के आधार पर निरोध अधिकारी को सूचित करे। धारा 10 राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि वह निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष निरोध आदेश और उन आधारों को रखे जिनके आधार पर ऐसा आदेश हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन के साथ-साथ अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत किए गए अधिकारियों की रिपोर्ट के साथ दिया गया हो। धारा 11 के तहत सलाहकार बोर्ड को रखी गई सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

उसके समक्ष और बंदी को सुनने के बाद, संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तारीख से सात सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसे मामले में जहां सलाहकार बोर्ड की राय है कि निरोध के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, राज्य सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी, लेकिन यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण बनाया गया था, तो राज्य सरकार निरोध आदेश को स्वीकार कर सकती है और अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट अधिकतम अवधि से अधिक की अवधि के लिए संबंधित व्यक्ति की नजरबंदी जारी रख सकती है। धारा 13 में अधिकतम अवधि का प्रावधान है जिसके लिए किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है। इस प्रावधान के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि निरोध की तारीख से बारह महीने होगी। हालाँकि, राज्य सरकार के पास किसी भी समय हिरासत आदेश को रद्द करने की शक्ति है जो उसे उचित लगे।

10. उपरोक्त धाराओं के प्रावधान प्रतिनिधित्व पर विचार करने में होने वाली देरी के खिलाफ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं। यदि उपरोक्त प्रावधानों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो निरोध आदेश को निरस्त किया जा सकता है और बंदी स्वतंत्रता का हकदार है। एक बार जब राज्य सरकार द्वारा निरोध का आदेश दिया जाता है, तो अधिकतम अवधि जिसके लिए एक बंदी को हिरासत में रखा जाएगा, निरोध की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अधिनियम में कहीं भी हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उस अवधि को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखने की आवश्यकता है। "राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, वे लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि धारा 3 की उप-धारा (2) में आने वाली ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है" उस अवधि से संबंधित है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्यायोजन का आदेश लागू रहना है और इसकी निरोध की अवधि से कोई प्रासंगिकता नहीं है। विधायिका ने राज्य सरकार को निरोध की शक्ति सौंपने का ध्यान रखा है; क्योंकि बिना मुकदमे के

निरोध एक नागरिक के मौलिक अधिकार पर एक गंभीर अतिक्रमण है, इसलिए उसने एक अनिश्चित अवधि के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को शक्ति के एक व्यापक प्रत्यायोजन से बचने के लिए यह प्रावधान किया है कि प्रारंभिक उदाहरण में प्रतिनिधि मंडल तीन महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा और इसे प्रतिनिधि मंडल के क्रम में निर्दिष्ट किया जाएगा। लेकिन अगर 557

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 558

स्थिति पर विचार करने पर राज्य सरकार यदि आवश्यक हो, तो वह समय-समय पर उपरोक्त अधिकारियों को फिर से हिरासत में रखने की शक्ति सौंप सकती है, लेकिन किसी भी समय प्रतिनिधि मंडल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित अवधि प्रत्यायोजन की अवधि को संदर्भित करती है और इसकी उस अवधि के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। चूंकि अधिनियम में हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी को उस अवधि को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए एक बंदी को हिरासत में रखा जाना आवश्यक है, ऐसे विनिर्देश के अभाव में हिरासत के आदेश को अमान्य या अवैध नहीं माना जाता है।” (जोर दें।

आपूर्ति की गई)

28. टी. देवकी (ऊपर) में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय पर बाद में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सचिव के मामले में भरोसा किया।

तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक (कानून और व्यवस्था) राजस्व विभाग

और एक अन्य बनाम कमला और एक अन्य ने (2018) 5 एस. सी. सी. 322 में इस प्रस्ताव के लिए रिपोर्ट किया कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उस अवधि को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए एक बंदी को हिरासत में रखने की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार के सचिव (ऊपर) में, उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) की धारा 3 (1) (ii) के तहत जारी निरोध आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि निरोध की अवधि निर्दिष्ट नहीं थी। उच्च न्यायालय ने भरोसा जताया कि

पुलिस आयुक्त और एक अन्य बनाम गुरबक्स आनंदराम में निर्णय

बिरयानी ने (1988) सप एस. सी. सी. 568 में रिपोर्ट की, जिसे टी. देवकी (सुप्रा) में एक बड़ी पीठ के बाद के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। पीठ ने हममें से एक के माध्यम से बोलते हुए, न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि कानून में किसी बंदी को किस अवधि के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता है, यह निर्दिष्ट करने के लिए हिरासत प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस तरह के विशिष्ट उल्लेख के अभाव में हिरासत के आदेश को अमान्य या अवैध नहीं माना जाएगा।

29. जैसा कि ऊपर बताया गया है, चर्चा का एक अलग दृष्टिकोण भी है। हम इसे थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं। क्या निरोध के क्रम में निरोध की अवधि निर्धारित करने से आदेश खराब और अवैध हो जाएगा? दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत आदेश में कहा होता कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक साल की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता तो इसके कानूनी निहितार्थ क्या होते? इस संदर्भ में, हमें ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 27 में रिपोर्ट किए गए माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर विचार करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

30. उक्त मामले में, याचिकाकर्ता को निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 3 (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा दिनांक 1 के आदेश के तहत गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर उक्त आदेश की वैधता को चुनौती दी, लेकिन उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को निवारक निरोध अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत 16.08.1951 पर 30.07.1951 दिनांकित एक और निरोध आदेश दिया गया था। उक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को उस तारीख तक हिरासत में रखा जाना था जिस दिन उक्त अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी।

31. माखन सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. फरवरी 1951 में इसके संशोधन से पहले अधिनियम के तहत जो भी स्थिति हो सकती है, यह स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियम के तहत यह आवश्यक है कि निरोध के प्रत्येक मामले को अधिनियम (धारा 9) के तहत गठित एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए और यह प्रावधान है कि यदि बोर्ड रिपोर्ट करता है कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है तो उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को स्वीकार कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को उस अवधि के लिए हिरासत में रख सकती है जो वह मानती है (धारा 11)। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सलाहकार बोर्ड, जिसके पास मामला भेजा गया है, की रिपोर्ट के बाद ही सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि हिरासत की अवधि क्या होनी चाहिए, न कि उससे पहले। इसलिए, वर्तमान मामले में प्रारंभिक क्रम में ही निरोध की अवधि का निर्धारण अधिनियम की योजना के विपरीत था और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।”

(जोर दिया गया) 32। उस मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यदि सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट करता है कि हिरासत के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और इसलिए उसे 31.03.1952 तक हिरासत में रखने के निर्देश को केवल अधिशेष के रूप में नजरअंदाज किया जा सकता है। उक्त तर्क को इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी करके खारिज कर दिया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि इस तरह का निर्देश सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे जाने पर याचिकाकर्ता के मामले पर उचित विचार करने के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस बात पर अक्सर जोर नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले प्रक्रिया 559

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 560 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

कानून द्वारा स्थापित का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इसे पीड़ित व्यक्ति के नुकसान के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।”

33. इस प्रकार, यदि निरोध प्राधिकारी ने निरोध के क्रम में निरोध की अवधि को निर्दिष्ट किया होता, तो यह तर्क दिया जा सकता था कि निरोध प्राधिकारी ने अधिनियम 1986 के प्रावधानों में उल्लिखित योजना के अनुसार सरकार और सलाहकार बोर्ड की शक्ति को हड़प लिया है और यह कि निरोध आदेश संविधान के अनुच्छेद 22 (4) में व्यक्त संवैधानिक जनादेश के विपरीत था।

34. यह भी प्रतीत होता है कि चेरुकुरी मणि (उपरोक्त) का निर्णय लेते समय विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान, इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय की ओर नहीं खींचा गया था, जिसमें गुरप्रीत कौर परविंदर सिंह बेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1992) 2 एस. सी. सी. 177 के मामले में, जिसमें दो-न्यायाधीशों की एक पीठ ने महाराष्ट्र स्लमलॉर्ड, बूटलेगर्स और ड्रग ऑफ एंडर्स अधिनियम, 1981 की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम की धारा 3 (2) की व्याख्या की थी, जो अधिनियम 1986 की धारा 3 (2) का पर्याय है। हम प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“31. डॉ. चिताले के दूसरे तर्क पर आते हुए कि अधिनियम के उस प्रावधान के प्रभाव के लिए अधिनियम की धारा 3 (2) ने राज्य सरकार को पहली बार में तीन महीने से अधिक की हिरासत का आदेश देने से प्रतिबंधित कर दिया था और चूंकि तत्काल मामले में हिरासत का आदेश तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए दिया गया था, इसलिए इसे दूषित कर दिया गया था।

32. धारा 3 इस प्रकार है: “3. कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति।— (1) यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट हो जाती है कि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो आदेश दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए। (2) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त

यदि पुलिस उप-धारा (1) में दी गई शक्तियों को संतुष्ट करती है तो वह भी उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि, पहली बार में, तीन महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार, यदि उपरोक्त रूप से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो समय-समय पर ऐसी अवधि को किसी एक समय में तीन महीने से अधिक की अवधि तक बढ़ाने के लिए ऐसे आदेश में संशोधन कर सकती है।

(3) जब इस धारा के तहत कोई आदेश उप-धारा (2) में उल्लिखित एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह तुरंत राज्य सरकार को उन आधारों के साथ तथ्य की रिपोर्ट करेगा, जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण, जो उसकी राय में, मामले पर असर डालते हैं, और ऐसा कोई भी आदेश उसके बनाने के बाद बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच, राज्य सरकार द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया हो।"

33. धारा के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि धारा 3 (1) के तहत राज्य सरकार, यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट होती है कि उसे "सार्वजनिक व्यवस्था" के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश दे। धारा 3 की उप-धारा (2) राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है और यह प्रावधान करती है कि यदि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हो जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है, ताकि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सके जैसा कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदान किया गया है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, तो राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उप-धारा (2) के परंतुक में केवल यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन की अवधि 561

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 562 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उप-धारा (2) के तहत, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को उप-धारा (1) के तहत शक्तियां सौंपना पहली बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगा। इसलिए, परंतुक का किसी बंदी को हिरासत में रखने की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। निरोध की अधिकतम अवधि अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित की गई है जो यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है, जिसे अधिनियम की धारा 12 के तहत माना गया है। इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि तत्काल मामले में हिरासत के आदेश को दूषित कर दिया गया था क्योंकि यह तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए था। इसलिए, दूसरा तर्क भी विफल हो जाता है।"

(बल दिया गया)

35. अभय श्रीधर अम्बुलकर बनाम एस. वी. भावे के मामले में,

ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 397 में रिपोर्ट किए गए पुलिस आयुक्त, यह न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980 का 65) के तहत निवारक निरोध से संबंधित मामले पर विचार कर रहा था। न्यायालय के समक्ष मुख्य तर्क यह था कि निरोध आदेश देने के लिए आयुक्त को कोई वैध शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि सरकार ने अपना दिमाग लगाए बिना और केवल धारा 3 की उप-धारा (3) के शब्दों को पुनः प्रस्तुत करके आदेश जारी किया था। कथित उद्देश्य के लिए आयुक्त को शक्ति प्रदान करने के लिए सरकार की संतुष्टि आदेश की तारीख पर प्रचलित परिस्थितियों पर या विचाराधीन तीन महीने की अवधि के दौरान प्रबल होने की संभावना पर पहुंच गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि सरकार निश्चित नहीं थी कि कौन सी वैकल्पिक परिस्थितियाँ व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचने के लिए प्रासंगिक थीं और यह प्रस्तुत किया गया था कि उसने बिना दिमाग के यांत्रिक तरीके से काम किया था। इस संदर्भ में, इस न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान देने योग्य हैं:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“निरोध का आदेश देने की शक्ति मुख्य रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होती है। हालाँकि, राज्य सरकार कुछ परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर आदेश दे सकती है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित मामलों के संबंध में हिरासत का आदेश भी दे सकते हैं। राज्य सरकार ऐसा आदेश दे सकती है जो पहले आदेश में नहीं होगा।

उदाहरण तीन महीने से अधिक है लेकिन यह समय-समय पर एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होने की तुलना में आगे की अवधि के लिए नया आदेश देने की अवधि बढ़ा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को इस शक्ति का प्रदान करना सरकार की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की शक्तियों के अलावा है।

7. 6 जनवरी 1990 के आदेश के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि सरकार को संतुष्ट किया गया था कि ग्रेटर बॉम्बे पुलिस कमिश्नरेट में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि 30 जनवरी 1990 से 29 अप्रैल 1990 तक की अवधि के दौरान आयुक्त को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। यह वास्तव में धारा 3 की उप-धारा (3) की शर्तों के पुनरुत्पादन से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन उप-धारा (3) दो स्वतंत्र परिस्थितियों को संदर्भित करती है अर्थात्: (i) प्रचलित परिस्थितियाँ, (ii) जिन परिस्थितियों के प्रबल होने की संभावना है। स्पष्ट रूप से पूर्व का अर्थ है आदेश की तारीख को प्रचलित परिस्थितियाँ और उत्तरार्द्ध का अर्थ है भविष्य में प्रत्याशित परिस्थितियाँ। यदि सरकार चाहती है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को भी वर्तमान अवधि के लिए शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे मौजूदा परिस्थितियों से संतुष्ट होना होगा। यदि सरकार चाहती है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को भी भविष्य की अवधि के दौरान शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे उन परिस्थितियों से संतुष्ट होना चाहिए जो उस अवधि के दौरान होने की संभावना है। यह उप-धारा (3) का अधिदेश प्रतीत होता है।

8. धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि आदेश की तारीख पर प्रचलित परिस्थितियों या भविष्य की तारीख में प्रबल होने की संभावना पर आधारित होनी चाहिए। जिस अवधि के दौरान जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए आदेश में निर्दिष्ट किया जाना है जो परिस्थितियों के अस्तित्व पर निर्भर करेगा। यदि व्यक्तिपरक संतुष्टि आदेश की तारीख पर प्रचलित परिस्थितियों पर आधारित है, तो अवधि का चयन, जो 563 से अधिक नहीं होना चाहिए।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 564

आदेश की तारीख से तीन महीने का समय निर्धारित करना होगा। यदि भविष्य की अवधि के दौरान प्रबल होने वाली परिस्थितियों के कारण शक्ति प्रदान करना आवश्यक माना जाता है, तो शक्ति के प्रयोग की अवधि अनुमानित परिस्थितियों से संबंधित होनी चाहिए। इसलिए, उस अवधि का विनिर्देशन जिसके दौरान जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करना है, वर्तमान या भविष्य में परिस्थितियों के अस्तित्व के रूप में व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करेगा। चूँकि बिना मुकदमे के निरोध की बहुत कठोर शक्तियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान की जानी हैं, इसलिए राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना दिमाग लगाए और उस अवधि के बारे में सावधानीपूर्वक चुनाव करे जिसके दौरान अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जो पूरी तरह से प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कानून के दोनों वैकल्पिक खंडों को पुनः प्रस्तुत करके व्यक्तिपरक संतुष्टि को हल्के में दर्ज नहीं किया जा सकता है। सत्ता के प्रयोग के लिए मौजूदा परिस्थितियों, या भविष्य की तारीख में प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों पर व्यक्तिपरक संतुष्टि अनिवार्य है। 'या' शब्द का उपयोग अलग-अलग अवधि के लिए दोनों स्थितियों में से किसी एक को दर्शाता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश की तारीख पर प्रचलित परिस्थितियों के साथ-साथ भविष्य में प्रबल होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की अवधि के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उत्तरार्द्ध पूर्व से उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, आदेश की तारीख पर गड़बड़ी हो सकती है और उसी स्थिति की कल्पना भविष्य की तारीख में भी की जा सकती है, जिस स्थिति में दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को शक्ति प्रदान की जा सकती है; लेकिन उस स्थिति में दोनों परिस्थितियों को संयुक्त शब्द 'और' विभेदक शब्द 'या' से जोड़ना होगा। विवादित सरकारी आदेश में असंगत शब्द 'या' का उपयोग केवल मन के अप्रयोग और विचार में अस्पष्टता का संकेत देता है। विचार में अस्पष्टता भाषा में अस्पष्टता की ओर ले जाती है। जाहिरा तौर पर, सरकार उन प्रासंगिक परिस्थितियों के बारे में अनिश्चित प्रतीत होती है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, और यही कारण प्रतीत होता है कि उन्होंने विवादित क्रम में असंगत शब्द "या" का उपयोग किया है।"

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

36. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों के प्रदान करने के बारे में विचार करते हुए ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का प्रदान या तो प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों के संबंध में विशिष्ट होना चाहिए, न कि दोनों के लिए। उस मामले में, पुलिस आयुक्त को शक्ति प्रदान करने वाले राज्य सरकार के दिनांक 1 के आदेश में भी महाराष्ट्र सरकार का संतोष दर्ज किया गया कि ग्रेटर बॉम्बे पुलिस आयुक्तालय में प्रचलित या प्रचलित होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक था कि 30 जनवरी, 1990 को शुरू होने और 21 अप्रैल, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, पुलिस आयुक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

37. गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'पी. ए. एस. ए. ') की धारा 3 (2), जो अधिनियम 1986 की धारा 3 (2), जिसके साथ हम संबंधित हैं, दो-न्यायाधीशों के समक्ष विचार के लिए आई।

नवलशंकर ईश्वरलाल दवे बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय की पीठ

गुजरात, ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1496 में सूचित किया गया, जिसमें बंदी की ओर से यह तर्क उठाया गया कि पी. ए. एस. ए. की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत प्रतिनिधिमंडल की पूर्ण शक्ति को राज्य सरकार की ओर से संतुष्टि का निषेध कहा जा सकता है, जिसका जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना थी। इस तरह के तर्क को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“3. पी. ए. एस. ए. की धारा 3 (2) राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दिया जाए कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, भी, यदि उप-धारा में परिकल्पित शर्तों के अस्तित्व को संतुष्ट करते हैं। (1) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करना। अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री गणेश का तर्क है कि प्रत्यायोजन की पूर्ण शक्ति राज्य सरकार की ओर से संतुष्टि का निषेध है और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। विधानमंडल ने 565 को शक्ति सौंपी।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 566 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

राज्य सरकार और यदि आवश्यक हो तो केवल चुनिंदा रूप से लेकिन पूर्ण प्रतिनिधि मंडल की अनुमति है। 1985 में अधिसूचना जारी होने के बाद कोई समीक्षा नहीं की गई। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा बिना दिमाग लगाए किए गए प्रतिनिधि मंडल का आदेश अवैध और अमान्य था और अलग करने वाले को हिरासत में लेना अवैध हो गया। विवाद में हमारा कोई बल नहीं है। पी. ए. एस. ए. को 7 वीं अनुसूची की समवर्ती सूची III की प्रविष्टि 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया था और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया था और उनकी सहमति प्राप्त की गई थी। इसलिए यह एक वैध कानून है। इसमें परिकल्पना की गई है कि धारा 3 (1) के तहत राज्य सरकार शराब तस्कर, खतरनाक व्यक्ति, मादक पदार्थ तस्कर, अनैतिक तस्करी तस्कर और संपत्ति हड़पने वाले को हिरासत में लेने के लिए धारा 3 (2) के तहत हिरासत की शक्ति का प्रयोग करेगी या एक अधिकारी को अधिकृत करेगी। पी. ए. एस. ए. को ऐसे वनग्रस्त व्यक्तियों के निवारक निरोध का प्रावधान करने के लिए बनाया गया था जिनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल होने से संतुष्ट थीं। धारा 3 की उप-धारा (4) घोषणा करती है कि एक व्यक्ति को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने वाला" माना जाएगा जब ऐसा व्यक्ति किसी भी गतिविधि में संलग्न है या उसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा है, चाहे वह शराब तस्कर, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं का सेवन करने वाला, अनैतिक तस्करी करने वाला और संपत्ति हड़पने वाला हो, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखता है। इसके लिए स्पष्टीकरण यह अभिनिर्धारित करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित माना जाएगा या अन्य बातों के साथ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना मानी जाएगी यदि उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता या उसके किसी खंड के बीच कोई नुकसान, खतरा या भय या असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है या पैदा करने की संभावना है या जीवन, संपत्ति या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरा है। इसलिए, अधिनियम राज्य सरकार की ओर से संतोष व्यक्त करता है कि वनग्रस्त व्यक्तियों में से किसी की भी खतरनाक और असामाजिक गतिविधियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य करना माना जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अवज्ञा खंडों में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में संलग्न हो या उसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा हो और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित माना जाएगा या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना मानी जाएगी यदि गतिविधियाँ

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी नुकसान, खतरे या भय या असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं या पैदा करने की संभावना है।

आम जनता या उसका कोई खंड या जीवन, संपत्ति या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरा। राज्य की ओर से उच्च न्यायालय और उस पर विचार करने के लिए राज्य की ओर से किए गए प्रतिवाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि "राज्य में वर्ष 1985 में ऐसी स्थिति पाई गई थी जहां प्रस्तावना में उल्लिखित विभिन्न व्यक्तियों की गतिविधियों का प्रभाव उनकी संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों से बढ़कर सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हो गया है।" उन खतरनाक या असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने उप-अनुभाग के तहत शक्ति सौंपना उचित समझा। (2) "प्राधिकृत अधिकारी" की धारा 3 और सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि "प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुजरात सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है" और तदनुसार उप-धारा के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। (2) धारा 3 का प्रावधान और अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित निगमों में तीन पुलिस आयुक्तों को उप-अधिकारी द्वारा प्रदत्त अधिकारिता की अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने का निर्देश दिया। (1) एस. 3. यह देखा गया है कि खतरनाक या असामाजिक गतिविधियों को विधायी रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल माना जाता है। इसमें पहले जिन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, वे अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर सार्वजनिक व्यवस्था और यहां तक कि गति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, उच्चतम जिला होने के नाते। मौके पर मौजूद अधिकारी और शहरों में पुलिस आयुक्त का सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य है। इसलिए, प्रभावी रूप से निपटने के लिए, जहां सार्वजनिक व्यवस्था लागू की जाती है या पकड़ी जाती है, वहां तेजी से कदम उठाने के लिए और प्रत्येक अवसर पर सरकार को जानकारी देने के बजाय और राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार करने के लिए, राज्य सरकार ने धारा 3 (2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त को धारा 3 (1) के तहत हिरासत में रखने का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया है, जब वह पहले 567 में उल्लिखित किसी भी खतरनाक या असामाजिक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए आवश्यक समझता है।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 568

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना है।" बाद का खंड तात्कालिकता और शीघ्रता पर जोर देता है और मौके पर अधिकृत अधिकारी तथ्यों और जमीनी स्थिति से व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक उपाय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है। ए. के. रॉय बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 710, पैरा 72 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय पर श्री गणेश की निर्भरता का इस अधिनियम में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई अनुप्रयोग नहीं है। जब तक शराब तस्कर, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं की तस्करी, अनैतिक तस्करी और संपत्ति हड़पने की गतिविधियाँ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर बनी रहती हैं, और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए भ्रष्ट व्यक्ति से निपटने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना होती है, तब तक आवश्यकता बनी रहेगी। इसलिए, प्रत्यायोजन आदेश की आवधिक समीक्षा का प्रश्न आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।"

(जोर दिया गया) 38। इस प्रकार उपरोक्त से, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी बंदी की ओर से प्रचार किया गया मुख्य विवाद पूरी तरह से गलत है और सीमा पर नकारने योग्य है।

39. पुनरावृत्ति की कीमत पर, अधिनियम 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है और यह प्रावधान करती है कि यदि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है, तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश देने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है, जैसा कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदान किया गया है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा में दिए गए प्रावधानों को संतुष्ट करते हैं। अतः उप-धारा (2) के परंतुक का किसी बंदी के निरोध की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। अधिनियम 1986 की धारा 13 के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है।

[2023] 11 एस सी आर।

जिसके ऊपर यह निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत किए गए किसी भी निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है।

40. लेकिन चेरुकुरी मणि (ऊपर) में इस न्यायालय ने परंतुक की व्याख्या करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत निरोध का आदेश दिया जाता है, तो निरोध की अवधि केवल तीन महीने की अवधि के लिए हो सकती है। धारा 3 (2) के तहत किया गया एक समान आदेश बारह दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो। इस न्यायालय के अनुसार, यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने का इरादा रखती है, तो तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत का प्रारंभिक आदेश और तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए विस्तार के कम से कम तीन आदेश होने चाहिए। इस तरह की व्याख्या के समर्थन में, संविधान के अनुच्छेद 22 (4) (ए) पर निर्भरता रखी गई है, जिसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

“22. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण:— ××.×××××

(4) निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने को तब तक अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि-(ए) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य व्यक्तियों से युक्त एक सलाहकार बोर्ड ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है:

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात खंड (7) के उपखंड (बी) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगी; या

41. अनुच्छेद 22 (4) (ए) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा। इस प्रकार, निरोध का आदेश तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह सूचित नहीं किया है कि उसकी राय में निरोध के लिए ऐसा पर्याप्त कारण है। अनुच्छेद 22 (4) (ए) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भले ही निरोध का आदेश निरोध की किसी भी अवधि को निर्धारित नहीं करता है, 569

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 570

निरोध का ऐसा आदेश तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है, जब तक कि तीन महीने की समाप्ति से पहले सलाहकार बोर्ड का मानना है कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। दूसरे शब्दों में, यदि सलाहकार बोर्ड निरोध की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी राय नहीं देता है, तो ऐसे मामले में, तीन महीने की अवधि से अधिक निरोध का आदेश अवैध हो जाएगा और अन्यथा नहीं। यदि तीन महीने की अवधि के भीतर, सलाहकार बोर्ड का मानना है कि इस तरह की नजरबंदी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो राज्य सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा।

42. इसलिए, अनुच्छेद 22 (4) (ए) सारतः निरोध के आदेश से संबंधित है और इसका राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्धारित हिरासत की शक्ति के प्रत्यायोजन से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 9 के तहत, राज्य सरकार को हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजना होता है, भले ही हिरासत का आदेश अधिनियम की धारा 3 (1) या धारा 3 (2) के तहत पारित किया गया हो और सलाहकार बोर्ड को हिरासत की तारीख से सात सप्ताह के भीतर अपनी राय देनी होती है। इससे यह पूरी तरह से दस सप्ताह का हो जाएगा। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22 (4) (ए) में निर्धारित किया गया है, यदि किसी मामले में, एक बार सलाहकार बोर्ड तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी राय देता है, तो हमारे विचार में, अनुच्छेद 22 (4) (ए) अब लागू नहीं होगा। इस प्रकार, अनुच्छेद 22 (4) (ए) राज्य सरकार द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा निरोध के आदेश को पारित करने के प्रारंभिक चरण में लागू होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया गया है और जिसका आदेश राज्य सरकार द्वारा निरोध की तारीख से बारह दिनों की अवधि के भीतर अनुमोदित किया गया है, न कि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के बाद के चरण में। सलाहकार बोर्ड की राय के

आधार पर, अधिनियम की धारा 12 के तहत, राज्य सरकार निरोध के आदेश को रद्द कर सकती है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा कर सकती है या निरोध आदेश को स्वीकार कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को किसी भी अवधि के लिए हिरासत में रख सकती है जो अधिकतम बारह महीने की अवधि से अधिक नहीं है, जो अधिनियम की धारा 13 में निर्धारित है। इसलिए, जब राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिनियम की धारा 12 के तहत एक संवादी आदेश पारित करती है, तो इस तरह के संवादी आदेश को केवल तीन महीने की अवधि तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। यह निरोध के प्रारंभिक आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि से अधिक हो सकता है, लेकिन निरोध की तारीख से अधिकतम बारह महीने की अवधि तक हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

43. हम दोहराते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 (4) (ए) में निर्धारित तीन महीने की अवधि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने के चरण तक निरोध की प्रारंभिक अवधि से संबंधित है और इसका निरोध की अवधि पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा पारित किए जा रहे विश्वासघात आदेश के बाद भी जारी है। राज्य सरकार द्वारा पारित प्रत्यर्पण आदेश के अनुसार निरोध को जारी रखने के लिए निरोध की अवधि को निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है और न ही यह केवल तीन महीने की अवधि तक सीमित है। यदि कारावास आदेश में कोई अवधि निर्दिष्ट की गई है, तो निरोध की अवधि ऐसी अवधि तक होगी, यदि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो यह निरोध की तारीख से अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए होगी। हमारा मानना ​​है कि राज्य सरकार को हर तीन महीने में हिरासत के आदेशों की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। 44. इस प्रकार, हमारे विचार में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (4) (ए) में निर्दिष्ट तीन महीने की अवधि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट से पहले की निरोध अवधि से संबंधित है, न कि उसके बाद की निरोध अवधि से। इसके अलावा, अनुच्छेद 22 (4) (ए) के संदर्भ में निरोध की अवधि तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं हो सकती है, अगर तब तक सलाहकार बोर्ड ने अपनी राय नहीं दी है कि इस तरह की निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। इसलिए, अनुच्छेद 22 (4) (ए) के तहत, सलाहकार बोर्ड को नजरबंदी की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी राय देनी होगी और सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 12 के तहत या तो नजरबंदी का आदेश दे सकती है या अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए संबंधित व्यक्ति की नजरबंदी जारी रख सकती है या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा कर सकती है, जैसा भी मामला हो। यदि निरोध का आदेश दिया जाता है, तो निरोध की अवधि को निरोध की तारीख से अधिकतम बारह महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में, हम देखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि तीन महीने की समाप्ति से पहले, राज्य सरकार के लिए निरोध के आदेश की समीक्षा करना आवश्यक है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा चेरुकुरी मणि (उपरोक्त) में व्यक्त किया गया है। अधिनियम निरोध आदेश की समीक्षा पर विचार नहीं करता है जब सलाहकार बोर्ड ने राय दी है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण है और उस आधार पर, राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत की तारीख से अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित किया जाता है। दूसरी ओर, जब धारा 571 के तहत

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 572

3(2) अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करने और निरोध का आदेश पारित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को अपनी शक्ति सौंपती है। पहली बार में प्रतिनिधि मंडल तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता है और प्रतिनिधि मंडल की अवधि का विस्तार भी किसी एक समय में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकता है।

45. अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए प्रथम प्रस्तुतिकरण का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

ऐप्लेंट के बारे में दूसरा निवेदन

46. अपीलार्थी बंदी की ओर से पेश विद्वान वकील ने यह भी जोरदार तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश निषेध अधिनियम, 1995 (2020 के अधिनियम संख्या 18 द्वारा संशोधित) (संक्षेप में, 'अधिनियम 1995') के तहत चार प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफ. आई. आर.) का पंजीकरण अपने आप में इस व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बूट-लेगर के रूप में अपीलार्थी बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।

47. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि 06.01.2021 और 09.03.2022 के बीच यानी चौदह महीनों की अवधि में अपीलार्थी बंदी के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज किए गए थे। 2020 के अधिनियम संख्या 18 द्वारा संशोधित अधिनियम 1995 की धारा 7 बी और धारा 8 बी के जवाब के तहत सभी चार प्राथमिकियों में से एक है। धारा 7 बी इस प्रकार है:- - प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा 7-बी। बूट लेगिंग गतिविधियों का निषेध।- द.

ए के प्रावधानों के अलावा, किसी भी मादक शराब का निर्माण, परिवहन, स्थापना, खरीद, आयात, निर्यात या भंडारण और अवैध रूप से या गुप्त रूप से मादक शराब के निर्माण के लिए किसी भी कच्चे माल की आपूर्ति या परिवहन। पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 इसके द्वारा निषिद्ध है।”

48. धारा 8 बी इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा 8-बी। अवैध रूप से और गुप्त रूप से निर्मित मादक शराब की बिक्री, निर्यात, आयात और परिवहन के लिए जुर्माना।- जो भी हो।

इस अधिनियम की धारा 7-बी के उल्लंघन में अवैध रूप से आसुत मादक शराब की बिक्री, निर्यात, आयात या परिवहन में लिप्त होने पर दोषी ठहराए जाने पर एक वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के लिए उत्तरदायी होगा, जो आठ वर्ष तक बढ़ सकता है और जो पहली बार के लिए दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो दूसरी बार के लिए पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

49. जैसा कि नीचे गिना गया शुल्क एक स्पष्ट तस्वीर देता है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एस. नं.	एफ. आई. आर	क्यूटी।
1	06.01.21 : एफ. आई. आर. सं. 01/21 (Cr.No)। 13/21)	5 लेफ्टिनेंट।
2	13.08.21 : एफ. आई. आर. सं. 08/21 (Cr.No)। 376/21)	30 लेफ्टिनेंट।
3	30.09.21 : एफ. आई. आर. सं. 10/21 (क्र. No.532/21)	10 लेफ्टिनेंट।
4	09.03.22 : एफ. आई. आर. सं.	10 लेफ्टिनेंट।

	03/22 (क्र. नं. 213/22)	
	कुल	55 लेफ्टिनेंट।

50. चारों प्राथमिकियों के संबंध में अपीलार्थी बंदी को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया।

51. हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने रासायनिक विश्लेषक की निम्नलिखित रिपोर्टों पर ध्यान दिया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

आई. ग्राउंड नंबर 1: विश्लेषण रिपोर्ट; क्र. सं. में सी. ई. सं. 366/21। सं. 5890 डी. टी. डी. 04.03.21 जब्त आई. डी. शराब Cr.No में मिली। 13/21 मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।

ii. ग्राउंड नंबर 2: विश्लेषण रिपोर्ट; क्र. सं. में सी. ई. सं. 2381/21। सं. 41632 डीटीडी। 10.11.21 जब्त आई. डी. शराब सी. आर. में मिली। नहीं. 376/21 मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।

iii. ग्राउंड नंबर 3: विश्लेषण रिपोर्ट; क्र. सं. में सी. ई. सं. 2796/21। सं. 45126 डीटीडी। 27.11.21 जब्त आई. डी. शराब सी. आर. में मिली। नहीं. 532/21 मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।

iv. ग्राउंड नंबर 4: विश्लेषण रिपोर्ट; क्र. सं. में सी. ई. सं. 851/22। सं. 13027 डी. टी. डी. 04.04.22 जब्त आई. डी. शराब सी. आर. में मिली। नहीं. 213/22 मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।

(जोर दिया गया) 52। इस प्रकार, अपीलार्थी के कब्जे से जब्त की गई शराब से लिए गए और एकत्र किए गए नमूनों को रासायनिक विश्लेषण के उद्देश्य से फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था और ऊपर निर्दिष्ट सभी चार मामलों में, विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूने मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए थे।

573

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 574 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

“कानून और आदेश और सार्वजनिक आदेश

53. इस न्यायालय ने कई मौकों पर "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" की अवधारणाओं की जांच की। संविधान लागू होने के तुरंत बाद, बृज भूषण और एक अन्य बनाम दिल्ली राज्य, (1950) एस. सी. आर. 605 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित एक मामले पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि "सार्वजनिक व्यवस्था" को इस संदर्भ में "सार्वजनिक शांति" के रूप में व्याख्या की जा सकती है।

54. इस न्यायालय का एक और प्रसिद्ध संविधान पीठ का निर्णय है -

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, (1950) एस. सी. आर. 594 के मामले में।

इस मामले में, बॉम्बे में मुद्रित और प्रकाशित क्रॉस रोड्स नामक अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका के एक मुद्रक, प्रकाशक और संपादक रोमेश थापर को मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 1949 के तहत हिरासत में लिया गया था। निरोध आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका द्वारा सीधे इस अदालत में चुनौती दी गई थी। आरोप था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने सार्वजनिक शांति भंग करने और सार्वजनिक व्यवस्था और शांति में गड़बड़ी पैदा करने के लिए दस्तावेजों को प्रसारित किया। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है

“..... ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति है और यह उस शांति की स्थिति को दर्शाती है जो सरकार द्वारा लागू आंतरिक नियमों के परिणामस्वरूप एक राजनीतिक समाज के सदस्यों के बीच प्रचलित है, जिसे उन्होंने स्थापित किया है.. यह माना जाना चाहिए कि 'सार्वजनिक सुरक्षा' का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था की व्यापक अवधारणा के एक भाग के रूप में किया जाता है।

55. "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के बीच के अंतर को इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले में सावधानीपूर्वक अवहेलना की गई है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य का मामला, (1966) 1

एससीआर 709। इस फैसले में, न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने विभिन्न उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" की अवहेलना की। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“.....क्या "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति हर तरह की अव्यवस्था को स्वीकार करती है या केवल कुछ को? इसका जवाब "सार्वजनिक व्यवस्था" को "कानून और व्यवस्था" से अलग करने का काम करता है क्योंकि बाद वाला निस्संदेह उन सभी को लेता है। यदि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है, तो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा होनी चाहिए। शांति के हर उल्लंघन से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है। जब दो

शराबी झगड़ा करते हैं और वहाँ अव्यवस्था होती है लेकिन सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं। उनसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है लेकिन इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे। मान लीजिए कि दोनों कट्टरपंथी प्रतिद्वंद्वी समुदायों के थे और उनमें से एक ने सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश की। समस्या अभी भी कानून और व्यवस्था की है लेकिन यह सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका को बढ़ाती है। अन्य उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है। कानून का उल्लंघन हमेशा अधिनियम के आदेश को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, इसे समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करना चाहिए। इस प्रकार भारत रक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए केवल कानून और व्यवस्था में व्यवधान पैदा करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने वाली व्यवधान पर्याप्त हैं। जिला मजिस्ट्रेट को नियम 30 (1) (बी) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था के विध्वंस को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए नहीं।

इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि जिस प्रकार इस न्यायालय के निर्णयों में (पहले उद्धृत) "सार्वजनिक व्यवस्था" को "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझने के लिए कहा गया था, "कानून और व्यवस्था" भी "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है। तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तब यह देखना आसान है कि कोई अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, जैसे कि एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं।

56. अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, (1970) 1

एस. सी. सी. 98, जे. हिदायतुल्ला, को फिर से "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के सवाल से निपटने का अवसर मिला। इस निर्णय में, विभिन्न उदाहरण देकर, "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के बीच बुनियादी अंतर को समझने के लिए बहुत गंभीर प्रभाव डाला गया है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“.....कहा जाता था कि सार्वजनिक व्यवस्था कानून और व्यवस्था से अधिक समुदाय को शामिल करती है। सार्वजनिक व्यवस्था समुदाय के जीवन की सम गति है जो देश को एक पूरे या एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में ले जाती है। सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को उन व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित कार्यों से अलग किया जाना चाहिए जो समाज को परेशान नहीं करते हैं।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 576 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सार्वजनिक शांति में सामान्य गड़बड़ी पैदा करना। यह किसी इलाके में समुदाय के जीवन पर अशांति का स्तर और इसका प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या अशांति केवल कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के बराबर है। उदाहरण के लिए, एक आदमी

दूसरे को चाकू मारता है। लोग हैरान और परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन समुदाय का जीवन एक समान गति से आगे बढ़ता रहता है, चाहे कोई भी इस कृत्य को कितना भी नापसंद करे। एक अन्य शहर का मामला लीजिए जहाँ सांप्रदायिक तनाव है। एक आदमी दूसरे समुदाय के एक सदस्य को चाकू मारता है। यह एक बहुत ही अलग तरह का कार्य है। इसके निहितार्थ गहरे हैं और यह जीवन की गति को भी प्रभावित करता है और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है क्योंकि इस अधिनियम के परिणाम समुदाय के बड़े वर्गों को शामिल करते हैं और उन्हें कानून और व्यवस्था का और उल्लंघन करने और सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए उकसाते हैं। एक कार्य अपने आप में अपने गुरुत्वाकर्षण का निर्धारक नहीं है। अपनी गुणवत्ता में यह दूसरे से अलग नहीं हो सकता है लेकिन अपनी क्षमता में यह बहुत अलग हो सकता है। लड़कियों पर हमले का मामला लीजिए। एक होटल में एक अतिथि आधा दर्जन चैम्बरमेड्स को चूम सकता है या अग्रिम कर सकता है। वह उन्हें और प्रबंधन को भी परेशान कर सकता है लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था में खलल नहीं डालता है। उसका किसी लड़की के दोस्त के साथ झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन तब भी यह कानून और व्यवस्था के उल्लंघन का मामला होगा। एक पुरुष का एक और मामला लीजिए जो अकेली जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। उसकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप कॉलेज और स्कूल जाने वाली लड़कियां लगातार खतरे और डर में रहती हैं। अपने सामान्य व्यवसाय के लिए जाने वाली महिलाएं इस बात से डरती हैं कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा। इस व्यक्ति की गतिविधि अपने मूल गुण में दूसरे व्यक्ति के कार्य से अलग नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता और सार्वजनिक शांति पर इसके प्रभाव में एक विशाल अंतर है। एकाकी स्थानों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का कार्य जीवन की समान गति में गड़बड़ी पैदा करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था की पहली आवश्यकता है। वह समाज और समुदाय को परेशान करता है। उसका कृत्य सभी महिलाओं को उनके सम्मान के प्रति आशंकित करता है और कहा जा सकता है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर रहा था और न कि केवल व्यक्तिगत कार्रवाई कर रहा था जिस पर आपराधिक अभियोजन एजेंसियों द्वारा ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या उसने इस तरह से काम किया है जिससे जनता में अशांति पैदा होने की संभावना है।

व्यवस्था समाज पर अधिनियम की डिग्री और पहुंच का सवाल है।

57. 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'कानून और व्यवस्था' की अवधारणा रही है

पुष्कर मुखर्जी और अन्य बनाम राज्य के मामले में निपटा गया

पश्चिम बंगाल, ए. आई. आर 1970 एस. सी. 852। इस मामले में, इस न्यायालय ने 'कानूनी कर्तव्यों' पर डॉ. एलन के महत्वपूर्ण कार्य पर भरोसा किया था और न्यायशास्त्र के क्षेत्र में 'सार्वजनिक' और 'निजी' अपराधों के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। अपराध के भौतिक तत्वों पर विचार करते हुए, प्रत्येक समुदाय जिन ऐतिहासिक परीक्षणों को लागू करता है, वे आंतरिक गलत और सामाजिक औचित्य हैं जो दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण कुछ आचरण को आपराधिक के रूप में नामित किया गया है। डॉ. एलन ने 'सार्वजनिक' और 'निजी' अपराधों को इस अर्थ में अलग किया है कि कुछ अपराध मुख्य रूप से विशिष्ट व्यक्तियों को चोट पहुँचाते हैं और केवल द्वितीयक रूप से सार्वजनिक हित को, जबकि अन्य सीधे सार्वजनिक हित को चोट पहुँचाते हैं और व्यक्तियों को केवल दूर से प्रभावित करते हैं। इन आधारों पर विदेशों में अंतर है, लेकिन इस तरह के किसी भी परीक्षण के अनुप्रयोग में अंतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं।

58. यह न्यायालय बाबुल मित्र उर्फ अनिल मित्र बनाम राज्य के मामले में

पश्चिम बंगाल और अन्य, (1973) 1 एस. सी. सी. 393 को "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के सवाल से निपटने का अवसर मिला। इस न्यायालय ने कहा कि "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के क्षेत्रों के बीच सही अंतर समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है। इसकी गुणवत्ता में अंतर नहीं हो सकता है लेकिन इसकी क्षमता में यह बहुत अलग हो सकता है।

59. दीपक बोस उर्फ नरीपदा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1973) 4

एस. सी. सी. 43, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने चित्रण देकर "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के बीच के अंतर को समझाया। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

".....सार्वजनिक सड़क जैसे सार्वजनिक स्थान पर हर हमला और पीड़ित की मृत्यु में समाप्त होने से उन लोगों में भय और यहां तक कि दहशत और आतंक पैदा होने की संभावना है जो दर्शक हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी सभी घटनाएं

आवश्यक रूप से उन इलाकों के सामुदायिक जीवन में अशांति या अव्यवस्था का कारण बनती हैं जहां वे प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान मामले में आधारों में निर्धारित दो घटनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उनमें से कोई भी उस तरह की और गंभीर थी जो 577 होगी।

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 578 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरे में डालना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बम उन लोगों द्वारा ले जाए गए थे जिन पर मैदान में बताए गए दो कृत्यों को करने का आरोप है। संभवतः ऐसा संबंधित पीड़ितों को भयभीत करने और उन्हें प्रतिरोध करने से रोकने के लिए किया गया था। लेकिन इस आधार पर यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्हें इलाके में दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया गया था ताकि वहां रहने वालों को उनके सामान्य जीवन का पालन करने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए दो मामले, इस प्रकार, विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित थे, और इसलिए, कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे कृत्यों के संबंध में अधिनियम के कठोर प्रावधानों का सहारा लेने पर विचार नहीं किया गया है और हमारे दंडात्मक कानूनों के सामान्य प्रावधान उनसे निपटने के लिए पर्याप्त होंगे।"

60. कुसो साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1974) 1 एस. सी. सी.

185, इस न्यायालय ने "सार्वजनिक व्यवस्था" के मुद्दे पर भी विचार किया था। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"ये अधिनियम कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर सकते हैं लेकिन हम सार्वजनिक व्यवस्था पर उनके प्रभाव को देखना असंभव समझते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि चोरी और हमले के आवारा और असंगठित अपराध सार्वजनिक व्यवस्था के मामले नहीं हैं क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन के समान अधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं। कानून के उल्लंघन कुछ हद तक अव्यवस्था का कारण बनते हैं लेकिन कानून के हर उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है।

61. इस न्यायालय ने अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य (1982) 2 एस. सी. सी. 403 के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट रूप से "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के बीच अंतर स्पष्ट किया। इस मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"13. "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर अधिनियम की प्रकृति या गुणवत्ता में नहीं है, बल्कि समाज पर इसकी पहुंच की मात्रा और विस्तार में है। "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" की दो अवधारणाओं के बीच का अंतर वास्तव में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अतिव्यापी नहीं हो सकता है। प्रकृति में समान लेकिन विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किए गए कार्य अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। एक मामले में यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है और इसलिए कानून और व्यवस्था की समस्या को छू सकता है, जबकि दूसरे में यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह कार्य अपने आप में हानिकारक नहीं है।

अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से। यह अधिनियम समुदाय के जीवन की समान गति को बाधित करने की क्षमता रखता है जो इसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाता है।

62. यह देखना होगा कि क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधि का स्थानीय समुदाय पर कोई प्रभाव पड़ा, या हिदायतुल्ला, जे. के शब्दों में कहे तो क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कृत्य ने उस विशिष्ट इलाके के समुदाय के जीवन की गति को बाधित किया था?

63. पुलिस आयुक्त और अन्य, बनाम सी. अनीता (श्रीमती), (2004)

7 एस. सी. सी. 467, इस न्यायालय ने फिर से "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के मुद्दे की जांच की और इस प्रकार टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"7. महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल थीं। जबकि "कानून और व्यवस्था" अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है क्योंकि कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित करता है, "सार्वजनिक व्यवस्था" का दायरा संकीर्ण होता है, और सार्वजनिक व्यवस्था को केवल ऐसे उल्लंघन से प्रभावित किया जा सकता है जो समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है। सार्वजनिक व्यवस्था समुदाय के जीवन की समान गति है जो देश को एक पूरे या एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में ले जाती है। "कानून और व्यवस्था" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के क्षेत्रों के बीच का अंतर समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है। यह अधिनियम समुदाय के जीवन की गति को बाधित करने की क्षमता रखता है जो इसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाता है। यदि इसके प्रभावी अधिनियम में कोई उल्लंघन केवल कुछ व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सीधे तौर पर जनता के एक व्यापक स्पेक्ट्रम से अलग के रूप में शामिल हैं, तो यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या को उठा सकता है। यह अव्यवस्था के एक विशेष विस्फोट द्वारा फैलाए गए आतंक की लहर की लंबाई, परिमाण और तीव्रता है जो इसे "कानून और व्यवस्था" से संबंधित "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाले कार्य के रूप में अलग करने में मदद करती है। पूछने के लिए प्रश्न है:

"क्या यह समुदाय के वर्तमान जीवन में अशांति का कारण बनता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो या क्या यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे समाज की शांति बाधित नहीं होती है?"

64. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के सवाल के बीच एक बहुत ही पतली रेखा है 579

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 580 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति, और कभी-कभी, कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित किसी व्यक्ति के कार्य सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति के प्रश्न में बदल सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के साथ निरोध के आधार के संबंध को निर्धारित करने के लिए जो निर्णायक है, वह अधिनियम की एक आंतरिक गुणवत्ता नहीं है, बल्कि इसकी अव्यक्त क्षमता है। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि निरोध का आधार सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है या नहीं, केवल एक अधिनियम की आंतरिक गुणवत्ता पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं होगा। अधिनियम की क्षमता की जांच आसपास की परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए, निषेध अधिनियम के तहत पश्च और पूर्ववर्ती परिस्थितियों के लिए।

65. सिर्फ इसलिए कि निषेध अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ चार मामले दर्ज किए गए हैं, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। बंदी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जो उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि निरोध इस आधार पर है कि बंदी शराब के निर्माण या परिवहन या बिक्री में लिप्त है, तो यह अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधि नहीं बनेगी क्योंकि इसे निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी रूप से निपटा जा सकता है, लेकिन यदि बंदी द्वारा बेची गई शराब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो अधिनियम 1986 के तहत, यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधि बन जाती है, इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसे उपलब्ध सामग्री पर संतुष्ट किया जाए कि बंदी द्वारा व्यवहार की जाने वाली शराब शराब है जो 1986 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को इस तरह से संतुष्ट किया जाता है कि

66. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पैरा 11 में ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम 1986 की धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण में सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में एक कानूनी निर्णय शामिल है। गुरप्रीत कौर (उपरोक्त) के मामले में, स्पष्टीकरण का अर्थ निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"28. धारा 2 (ए) (उपर्युक्त) का स्पष्टीकरण 'सार्वजनिक व्यवस्था' पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में एक कानूनी निर्णय को प्रभावी बनाता है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि धारा 2 (ए) के खंड (i)-(iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारण बनती है या गणना की जाती है

आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच किसी भी नुकसान, खतरे या खतरे या असुरक्षा की भावना या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरे का कारण बनता है, तो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित

माना जाएगा। इस प्रकार, यह "बूटलेगर" की गतिविधि का पतन है जो यह निर्धारित करता है कि क्या 'सार्वजनिक व्यवस्था' को इस प्रावधान के अर्थ के भीतर लागू किया गया है या नहीं। अधिनियम के तहत नजरबंदी से निपटने के दौरान इस विधायी इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(जोर दिया गया) 67। इस न्यायालय के निर्णय पर गौर करना उचित हो सकता है -

मामला राशिदमिया @छावा अहमदमिया शेख (ऊपर)। यह एक मामला था

पी ए एस ए के प्रावधानों के तहत। पी. ए. एस. ए. की धारा 2 (बी) जो एक "शराब तस्कर" की अवहेलना करती है, अधिनियम 1986 अधिनियम की धारा 2 (बी) का पर्याय है। पी. ए. एस. ए. की धारा 3 (4) निम्नलिखित है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“भाग 3:.....

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करना" माना जाएगा जब ऐसा व्यक्ति किसी भी गतिविधि में संलग्न है या उसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा है, चाहे वह शराब तस्कर या सामान्य जुआ घर के कागज के रूप में हो या व्यक्ति या खतरनाक व्यक्ति या मादक पदार्थ या अनैतिक तस्करी या संपत्ति हड़पने वाले के रूप में हो, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखता है।”

68. उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“16. धारा 2 (बी) और धारा 3 (4) के एक संयुक्त पठन और उसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत एक 'बूटलेगर' को हिरासत में लेने के आदेश को लागू करने के लिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को न केवल इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्ति धारा 2 (बी) के अर्थ के भीतर एक बूटलेगर है, बल्कि यह भी कि उक्त बूटलेगर की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मामले के तथ्यों की ओर लौटते हुए, हिरासत के आधार पर अस्पष्ट आरोप कि बंदी अब्दुल लतीफ अब्दुल वहाब शेख के गिराव का मुख्य सदस्य है जो अवैध व्यापार गतिविधियों में लिप्त है और बंदी 581

पेसाला नूकराजू बनाम आंध्र प्रदेश और ओआरएस की सरकार। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 582 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

ऐसी खतरनाक गतिविधियों में सक्रिय भाग ले रहा है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसकी गतिविधियों ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है या अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 4 के अनुपालन में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है कि बंदी की गतिविधियों ने धारा 3 (4) के स्पष्टीकरण के अनुसार आम जनता या उसके किसी भी खंड के बीच नुकसान, खतरा या भय या असुरक्षा की भावना या जीवन, संपत्ति या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरा पैदा किया है।

17. उपरोक्त चार मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर दर्ज किया गया कि वह शराब का कारोबार कर रहा था, किसी अन्य सामग्री के अभाव में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उन गतिविधियों ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।”

उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस न्यायालय ने उक्त मामले के तथ्यों में पाया कि केवल इस तथ्य का कि याचिकाकर्ता शराब का कारोबार कर रहा था, किसी अन्य सामग्री के अभाव में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के सवाल पर कोई असर नहीं पड़ा कि बंदी की उन गतिविधियों ने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

69. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने भी पीयूष कांतिलाल मेहता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा जताया है। उस मामले में, हिरासत के आधार पर आरोप थे कि बंदी एक निषेध बूट-लेगर था; कि वह विदेशी शराब की बिक्री में लिप्त था और वह और उसके सहयोगी बल प्रयोग और हिंसा में लिप्त थे। उस मामले में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विदेशी निशान वाली अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था और दूसरे अवसर पर, उसे एक राजदूत कार

में विदेशी शराब की 296 बोटलें ले जाते समय पकड़ा गया था। उस मामले पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यह सच है कि याचिकाकर्ता द्वारा पिटाई की कुछ घटनाएं हुई थीं, जैसा कि गवाहों ने आरोप लगाया था। लेकिन, हमारे विचार में, ऐसी घटनाओं का सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए कथित अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से, अपराधों का गठन करने वाले कृत्यों को समुदाय के जीवन की समान गति को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता

अधिनियम की धारा 2 (बी) के अर्थ के भीतर एक शराब तस्कर, लेकिन केवल इसलिए कि वह एक शराब तस्कर है, उसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत निवारक रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) में निर्धारित, शराब तस्कर के रूप में उसकी गतिविधियों से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।”

(जोर दिया गया) 70। पीयूष कांतिलाल मेहता (उपरोक्त) के मामले में घोषणा से ऐसे मामले में कोई सहायता नहीं मिलेगी, जहां ठोस सामग्री (यानी मानव उपभोग के लिए असुरक्षित शराब से निपटने के कई मामले) के आधार पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की राय है कि बूट-लेगर की गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थी।

71. मामले में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा शराब बेचना और उस इलाके के लोगों द्वारा सेवन करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इस तरह का बयान उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की अभिव्यक्ति है कि बंदी अपीलार्थी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं। इतना ही नहीं, निरोध प्राधिकारी ने अपना संतोष भी दर्ज किया है कि निरोधित अपीलार्थी को ऐसी गतिविधियों में आगे शामिल होने से रोकना आवश्यक है और यह संतुष्टि अभिलेख पर विश्वसनीय सामग्री के आधार पर प्राप्त की गई है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि क्या सामग्री पर्याप्त थी या नहीं, यह अदालतों के लिए वस्तुनिष्ठ आधार को लागू करके निर्णय लेने के लिए नहीं है क्योंकि यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का मामला है। 72. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई त्रुटि, कानून की बहुत कम त्रुटि नहीं पाते हैं।

73. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज की जाती है।

निधि जैन